[Shri A. K. Rajan]

All the Hydro-electrice Projects in the State both under execution and investigation are very badly affected due to this Act. Even in case of projects nearing completion, it has not been possible to do the survey and construction of transmission lines because of obstruction from forest authorities in the light of the above Act.

The order No. 8/22/81-FRY (Coord) dated 24/25-9-1981 of the Government of India, Ministry of Agriculture, exempts only the survey and investigation of Transmission lines, which does not help the State Electricity Boards much in the construction and commissioning of hydel and transmission projcets in the State.

As regards new schemes, the Planning Commission and Central Government will accord sanction only ofter they are cleared by the Committee on Environment|ecology constituted for the purose. The scrutiny by this committee with its prescribed formalities and formats is causing a lot of delay in clearing new schemes. Consequently, completion of these schemes will be delayed and the State may have to face power cuts also.

It is, therefore, suggested that the Government of India may exempt all the hydro-electric projects including transmission lines from the purview of the Forest Conservation Act, 1980 considering the above aspects.

(ix) Prof. Gokak Committee Report on three-language formula for Karnataka.

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South): Sir; under Rule 377, I am making the following statement.

The Government of Karnataka appointed a Committee to go into the status of Kannada langauage and other languages spoken by various communities in that State, including Sanskrit, under the Chairmanship of Prof. Gokak, former Vice-Chancellor of Bangalore University, to give its report on the question. The Gokak Committee gave its report in the early part of 1981, stating that Kannada should be only first language under three-language formula from 3rd standard gradually taken up to 8th standard by 1986-87. After 8th standard, one could study the language of his choice. The Committee also specified the names of the languages, out of which the second and the third language is to be selected. Government of Karnataka announced acceptane of this report in January, 1982.

However, this has started an agitation in the State by certain sections of population against compulsory study of Kannada as 1st language. They want that *status quo ante* may be maintained in the matter of language at least at the primary level. hey also plead that Article 350A of the Constitution provides them the freedom to learn through their mother-tongue and the acceptance of the Committee report infringes this right guaranteed by the Constitution.

I, therefore, appeal to the Central Government to find a satisfactory solution of the language problem in Karnataka State without delay.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 P.M.

2.58 hrs.

The Lok Sabha adjoured for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

SUGAR CESS BILL AND SUGAR DEVELOPMENT FUND BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Legislative Business. The House will take up further consideration of the following Motion moved by Rao Biren-

dra Singh on the 19th February, 1982, namely:—

"That the Bill to provide for the imposition of a cess on sugar for the development of sugar industry and for matters connected therewith, be taken into consideration."

And also further consideration of the following motion moved by Rao Birendra Singh on the 19th February, 1982, namely:—

"That the Bill to provide for the financing of activities for development of sugar industry and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Items 9 and 10 will be discussed together. Shri Sudhir Giri was on his legs. He has taken 13 minutes. I request him to take another 2 minutes and complete his speech. We have got to conclude this Bill. We have got 1 hour and 38 minutes. We have to go to the next Bill also. I think Mr. Giri, you have exhaustively dealt with the points, you have made valuable points; please be brief.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): By this time they might have forgotten what he has said!

SHRI SUDHIR GIRI (Contai): Sir, these two Bills, the Sugar Cess Bill and the Sugar Development Fund Bill have been brought forward with certain aims. I will first take the Sugar Cess Bill. It imposes a cess to the extent of Rs. 10 per quintal of sugar.

Imposition of this cess would definitely increase the price; and this has also been admitted by the Minister in the Bill itself. We are opposing this very move of price increase. We are opposing it with all the force at our command. The imposition of this cess thereby leading to price increase brings out in a clear-cut way, the attitude of the Government towards the consuming public especially those who live below the poverty line. It also brings out in sharp focus the Government's attitude towards the sugar tycoons. Very often we find a paradox in what the Government is saying and what it is doing. The other day our Prime Minister went to Calcutta. She said in the meeting at Calcutta that she and her party were promise bound to deliver the goods of socialism to the people. Now, is this price increase move on the part of the Government a measure, a step forward towards the achievement of socialism? I put this simple question to the hon. Minister. Sir, in the Statement of Objects and Reasons of the Bill, the hon. Minister has pointed out that the Government is aiming at the development of the sugar industry. Yes, we also agree with the hon. Minister and the Government that the development of the sugar industry is a must. But it should not be for the sake of sugar tycoons. It should be for the sake of the consuming masses, for the workers in the sugar mills and the sugarcane growers. If you really want to look after the interests of the sugarcane growers and the workers in the industry, you will have to nationalise the sugar industry as a whole. Otherwise, the sugarcane growers would not get the remunerative price for their produce. Not only that. The sugar mill owners have not paid them their dues. They are in arrears. These arrears have been accumulated for months together. If you want to be sincere in doing justice to the sugarcane growers, then the Government have to nationalise the industry. By doing so, there will be job security for the workers and the sugarcane growers will also get proper remuneration for their produce.

As regards the consumers, we have been finding that in the past few years, the price of sugar has been increasing steadily year after year and the consuming masses are suffering on account of this. On the contrary. We find that sugar tycoons are getting huge profits and they do not plough back their profits in the sugar industry. On the other hand, they are investing their money earned out of profit from sugar industry in other industries. Now, the Government has come forward to help these sick industries. But the real beneficiaries are the sugar tycoons. If you actually

[Shri Sudhir Giri]

want to develop the sugar industry, you have to nationalise it. The reason for the justification of my claim that the sugar industry should be nationalised is that the number of sick industries in India has been increasing year after year. In 1979, the number of such sick industries as was recorded was 22,366. In 1980 it rose to 24,550.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SNGH): You talk about sugar mills only.

SHRI SUDHIR GIRI: You are going to help the silk industries. So, I am quoting these figures.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are talking of all industries.

SHRI SUDHIR GIRI: Yes. Sir. In 1979, the amount lent by the financial institutions to the sick industries was Rs. 1,622 crores and in 1980, Rs. 1800 crores.

I am discussing the Industrial policy of the Government as a whole and the sugar policy is also a constituent part of the industrial policy. So. I have brought these figures.

In conclusion, I would like to say that the nationalisation of the sugar industry needs a determined political will on the part of the Government. I doubt whether the Government has such a determined political will, because these sugar barons in the States have been playing an important role in the State politics and it is because of that the Government is not coming forward to tackle the situation; rather they are helping the sugar tycoons and sugar barons in the country. I, therefore, urge upon the Government that if they are really sincere in the development of sugar industry, they must nationalise it.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Mr. Deputy-Speaker. Sir, my hon. friend from the Communist Party wants every industry to be nationalised.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Communist Party (Marxist).

PROF. N. G. RANGA: All communists—all of them.

In England there is a Labour Party. That is also supposed to be a nationalist party. They have also been talking of nationalisation of all industries from the time of H. G. Wells' Book, 'New Worlds for Old,' but in actual practice they found it necessary to keep some of the industries non-nationalised also, and go on with their industrial activities. Therefore, it is no good now talking about the sugar industry and sugar barons. Everybody now talks of sugar barons. Who prevented the Janata Party from nationalising the sugar industry. At that time the Communist Party was also supporting the Janta Party.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): CPI was not supporting.

PROF. N. G. RANGA: CPI(M) did it overground. and the other did it underground.

Let us be practical minded Today we have three sets of industries; co-operative mills, private enterprises, and the mills which have been taken over by the Government. We have got to see that all these three groups of mills are managed properly. And, therefore, I would like my hon. friend, the Minister in-charge of this Bill to devise some way by which he would be monitoring as to how these mills are being managed, and it is in the interest of the country that these should not be mismanaged. whether they are under the direct supervision of the Government, or under the control of the cooperatives, or private enterprises, because we are interested in the welfare of kisans. Unless the mills are managed properly, the sucrose content would not be high enough and the price that can be paid to the agriculturists also cannot be raised. It is in the interest of the farmers themselves, and I want this monitoring to be carried out. Of coures, as a general policy also for industries as a whole, it is the duty of the Government and I have

mentioned it again and again on the floor of the House that the Company Law Administraton should take necessary powers in order to see that these industrial concerns do not go sick. These people go on making plenty of money whenever they can make it and we do not know what they do with all the profits. Either, they do not go to the depreciation fund and with that money they can renovate themselves whenever they go out-of-date. Or, they do not distribute them among the shareholders and they spend the money on their stays in the Five Star or the Seven-Star hotels. It is, therefore, in the interest of the country as a whole and the development of our industries, as a whole, that the Government should have some control over the way in which these private enterprise mills are managed.

Having said this, I would like to come down to this Bill, I welcome this Bill and I am glad that the hon. Minister has come forward with these two Bills. But I would like the hon. Minister to give some thought to what the various State Governments have been doing with the earlier cess that they have been collecting.

In those days, in some States—in U.P. especially; I do not know the latest position—whatever was collected in this way was being used for general purposes I had to protest against it at that time. I would like the hon. Miniser to see that the earlier excise duty that they were collecting and earmarking for this purpose and the latest one also, should be properly utilised—only for the sake of the sugar industry as such.

What do we mean by sugar industry? Not merely these mills; but the kisans and workers also behind them. So, the workers' welfare must be the first priority there; then the rural communications; then rural employment—the new scheme that we are having; health conditions; improvement of the industry as such; what is called the development and utilization of by-products of sugar extracts e.g., molasses; manufacture of spirits and various other chemical products—all these things have got to be developed. These funds will have to be utilised in this direction.

Having collected these funds, what use are these moneys to be put to? It is stated here that these out-moded mills will have to be renovated and rehabilitated. Sick mills will also have to be helped. This is so far as the mills are concerned. But there are kisans also. They also need help, especially when they have to purchase inputs—fertilizers etc. There are two ways by which they can get money: one from the cooperatives directly; and two, you should explore the possibilities for what steps should be taken by Government to see that mills are enabled, directed and advised to advance money to kisans to purchase fertilisers.

The mills themselves can purchase fertlizers, pass them on—on loan, on credit—with or without interest—certainly at concessional rates of interest. Or they should enable kisans themselves to take money from these people as advance and then purchase fertilizers. Today, instead of the mills advancing any money to the kisans. the poor kisans are obliged to hand over their cane to the mills, and go on waiting for months, for payment of cane price. Instead of that, I would like it to be turned in favour of the kisans. Let the government, by necessary rule-making powers, see that the mills advance a portion of the funds that would be advanced to them through these funds to the kisans for the purchase of fertilizers and other inputs.

Thirdly, I want Government to take some steps early enough to constitute a Gur—or what you call jaggery—Development Board. Why do kisans resort to jaggery manufacture, when there are mills? It is because mills are not there in all the areas;

[Prof. N. G. Ranga]

and the crushing capacity of the mills is not sufficient, when you compare it with the total sugar cane production. It is not very much more than half the sugar cane produced. The rest of it is being used for gur production. That also should be considered as deserving of as much support and protection from the State as the cane that is being supplied to the mills.

I hope my hon. friend will come forward very soon with a Bill to establish a Gur Development and Protection Board and see that the cane producers who resort to gur production are also properly protected, by fixing a minimum price for the gur, and also facilitating the export of gur to other countries—and in other ways developing the scientific side of production of gur and of preservation of gur.

That is an aspect which has been neglected till now. I hope my hon. friend, the Minister in charge of it, will seek the cooperation of scientists to see that the preservation of gur over a number of years—over at least two years—is further developed.

My last point is this I am glad that this Bill is framed in such a way that plenty of leeway or elbow roon is given to Government to frame rules; and in that way, go on providing for various other aspects of sugar industry as a whole to facilitate the proper use, the fullest possible use of the funds that would be collected in their manner.

I welcome this Bill.

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के उद्देश्य में कहा गया है कि शुगर-सेस से संग्रहीत राशि का उपयोग चीनी उद्योगों को नव-जीवन देने के लिए तथा गन्ना उद्योग के विकास के लिये किया जायगा। सब से पहले तो मुझे इस बात की आशंका है कि जब सेस का रुपया वसूल किया जायगा तो इस से चीनी की कीमत बढ़ जायेगी, इस दृष्टि से मैं इस सेस के लगाये जाने के विरुद्ध हूं, लेकिन साधारणतया मैं इस सेस का स्वागत ही करूंगा, परन्तु हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस के कारण चीनी की कीमत में वृद्धि न हो जाय।

जैसा उद्देश्य में कहा गया है कि यह सेस चीनी उद्योगों के नवजीवन के लिये है—मुझे सरकार से यह शिकायत है कि जब उद्योग पर संकट आता है तो यह सरकार और सभी लोग सचेत हो जाते हैं, परन्तु जब गन्ना-उत्पादक किसान पर संकट आता है तो यह सरकार तथा इस के कर्मचारी गांधी जी के बन्दरों की तरह से आंख और कान बन्द कर लेते हैं ....

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : राव साहब के बन्द नहीं होते हैं, हमें राव साहब से ऐसी उम्मीद नहीं है कि उन के आंख और कान बन्द हो जायेंगे।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : इस समय उत्तर प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलों की हालत यह है कि जो उन की वास्तविक या घोषित क्षमता है उस में कहीं कम उत्पादन हो रहा है। नतीजा यह होता है कि किसानों को अपना गन्ना सल्फर-उद्योगों के हाथ बेचना पड़ता है जो बहुत कम मूल्य में किसानों से गन्ना खरीदते हैं। जब यह "निधि" स्थापित होगी तो मैं समझता हूं कि इस से इस दिशा में भी किसानों को राहत देने का प्रयास किया जायगा।

पिछले दिनों में कृषि यंत्रों, खाद तथा कृषि में इनपुट्स की जो सामग्री है सब की कीमतों में वृद्धि हुई है। यन्त्रों के दाम बढ़े हैं, मजदूरी बढ़ी है, खाद जो कुछ दिन पहले 75 रुपये क्विंटल बिका करता था, आज किसानों को 122 रुपये क्विंटल में मिल रहा है, जिस के कारण किसानों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों सरकार ने धान और

गेहू की कीमतें बढ़ाई, चीनी की कीमत भी पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई, लेकिन गन्ने की कीमत पिछले साल के मुकाबले इस साल गिरा दी गई है ....

राव बीरेन्द्र सिंह : 3 साल पहले से मुकाबला कीजिये ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : 3 साल पहले और चीजों की कीमतों का भी मुकाबला कीजिये । केवल पैसे की बात नहीं होती है, उस समय अन्य चीजों की कीमतें कम थीं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : 3 रुपये थी ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : 3 साल पहले 3 रुपये थी—क्या बात करते हैं ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : आज भी बदायूं में 10 रुपये क्विटल गन्ना बिक रहा है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : यदि आप अपने मन में ऐसा समझ कर उसकी तुलना करते होंगे, तो वह आपकी काल्पनिक तुलना होगी । आप तीन साल पहले की बात करते हैं तीन साल पहले और चीजों की कीमतें क्या थीं ?

आप यह देखें कि बिहार में पिछले साल गन्ने की कीमत 22 रुपये प्रति क्विटल रखी गई थी और इस साल जबकि सभी चीजों की कीमतों में वृद्धि हुई है, गन्ने की कीमत साढ़े 20 रुपये प्रति क्विटल रखी गई है ।

यहां पर मैं विदेशों से आयात की गई चीनी के बारे में भी दो शब्द कहूंगा । कहा यह गया था कि चीनी की कीमतों में जो अत्यधिक वृद्धि हुई है, उसको घटाने के लिये और चीनी का भंडारण करने के लिए विदेशों से चीनी को आयात किया गया । आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 52 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था और इस साल 70 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है और छठी पंचवर्षीय योजना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस साल चीनी की खपत 57 लाख टन होगी । मैं देखता हूं कि इस आकलन के अनुसार 13 लाख टन चीनी भंडार में बची रहेगी । फिर भंडारण के नाम पर विदेशी चीनी मंगाने का औचित्य कहां रह जाता है । यह कहा जाता है कि 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी का भाव घट कर साढ़े 4 रुपये प्रति किलो आ गया है हालांकि साढ़े 4 रुपये प्रति किलो चीनी बाजार में उपलब्ध नहीं है । मैं ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही परिश्रम से कमाई गई विदेशी मुद्रा का इससे बेहतर उपयोग होना चाहिए था ।

महोदय, चीनी उद्योग तभी पनपेगा जब गन्ना उत्पादक किसान खुशहाल होंगे । आज किसानों की हालत यह है कि बिहार में किसानों का गन्ना अगर इस साल लिया जाता है, तो उसकी कीमत अगले साल दी जाती है और बिहार के किसी-किसी मिल में तो 6–6 और 7–7 सालों के बाद, बड़ी जद्दोजहद और उग्र संघर्ष के बाद कीमत अदा की गई ।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : आप ने अपने तीन सालों में दाम क्यों नहीं अदा कर दिये थे ?

شری جمیل الرحمن (کشنگنج)-
آپ نے اپنے تین سالوں میں دام
کیوں نہیں ادا کر دیئے تھے-

प्रो० अजित कुमार मेहता : अगर मान लीजिये, हम नहीं कर पाए, तो क्या आप भी अदा नहीं करेंगे । **(व्यवधान)** उन तीन सालों में पिछले 30 साल में आपके किये हुए कुकर्म कैसे मिट जायेंगे । **(व्यवधान)** . . .

मैं कह रहा था कि किसानों के गन्ने का मूल्य ठीक समय पर चुकता कराने में किसी की अभिरुचि नहीं है । पिछले वर्ष का सिवान

[प्रो० अजित कुमार मेहता]

के पचरुखी मिल पर 22 लाख रुपया और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर मिल पर 90 लाख रुपया किसानों का अभी तक बकाया है। चीनी उद्योग को नवजीवन देने और गन्ना उद्योग के विकास के लिये धन संग्रहीत करने की बात कही जाती है लेकिन चालू वर्ष में 65 से 70 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है और अभी जो आपने विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार 5 रुपये शुगर सेस प्रति क्विटल वसूल करने की बात है। तो उस हिसाब से 32 करोड़ 50 लाख से 35 करोड़ रुपया होने की उम्मीद है। मैं आप का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि रबड़ और गन्ने पर भी पहले उपकर वसूल किया जाता था लेकिन उसका कितना भाग उन उद्योगों पर खर्च हुआ। मुझे डर है कि इस लेवी की भी वही हालत न हो जाए जैसी कि रबड़ और गन्ने पर वसूल की गयी लेवी की होती रही है। इस समय तो आप विश्वास दिला देते हैं, उस समय भी आपने यही विश्वास दिलाया था लेकिन फिर भी उस का कितना उपयोग उस काम के लिए हो पाया, यह सब जानते हैं। अब अगर आप फिर विश्वास दिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।

केवल विधेयक पास करा देने से ही उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो जाती है 1981 में बिहार में एक विधेयक पारित हुआ था बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनिमय) विधेयक उसके अनुसार किसानों को उनकी उपज का मूल्य यदि नहीं चुकाया गया तो साढ़े सात प्रतिशत की दर से ब्याज किसानों को देय होगा। उस विधेयक में यह भी था कि खरीद केन्द्र पर पशुचालित गाड़ी को 6 घंटे से अधिक विलम्ब होने पर किसानों को 25 पैसा प्रति घंटा हरजाना देय होगा। मगर व्यवहार में किसानों को एक धेला भी नहीं मिलता। आज तक किसी किसान को कोई ब्याज या हरजाना नहीं मिल पाया है।

इसलिए मेरा कहना यह है कि केवल विधेयक पास करा देने मात्र से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जायेगी। जो आप यहां अश्योर कर रहे हैं, जब तक उसे आप कार्यान्वित नहीं करते तब तक कोई फल नहीं निकलेगा। इसलिये इसके कार्यान्वियन की दिशा में कदम उठाना उतना ही जरूरी है।

बिहार में लाभकर मूल्य के लिये किसानों में बहुत असंतोष है। रीगा मिल में तो किसानों की जायज मांगों का जवाब गोली से मिला जिसका नतीजा यह हुआ कि दो निर्दोष जानें चली गईं। बिहार विधान सभा के सदस्य प्रो० रघुवंश नारायण सिंह के साथ 146 किसान गिरफ्तार हुये। आज भी वे 146 किसानों के साथ जेल में हैं। वहां की विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु ने भी उनकी मांगों का समर्थन किया है। उनके साथ सहमति तो बिहार के मुख्य मंत्री ने भी व्यक्त की है किन्तु इसके साथ ही उन्होंने अपनी असमर्थता भी बता दी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की इच्छा के विपरीत प्रधान मंत्री गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाना चाहती है। इसलिये सभी गन्ना उत्पादक राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुला कर गन्ने का मूल्य बढ़ाने के बारे में निर्णय किया जायेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसमें सच्चाई नहीं है।

प्रो0 अजित कुमार मेहता : अगर उनके वक्तव्य में सच्चाई नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप सम्मेलन बुला कर किसानों के हित में जो कुछ हो सकता है, वह करें जिससे गन्ना उत्पादकों को राहत मिले।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं और विधेयक का आंशिक समर्थन करते हुए कहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि

इस से चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाये। बाकी चीजों का मैं समर्थन करता हूं।

श्रीमती कृष्णा शाही (बेगुसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, जो दो विधेयक शुगर सेस बिल और शुगर डेवलपमेंट फंड बिल हमारे सामने पेश है उनका मैं समर्थन तो कर रही हूं लेकिन हमारे कृषि मंत्री महोदय के सर पर जो पगड़ी हुआ करती थी, वह आज नहीं है। तब पगड़ी उन्हें कैसे मिलेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : पगड़ी तो बहुत सम्भाल कर रखनी पड़ती है।

श्रीमती कृष्णा शाही : बहरहाल उपाध्यक्ष महोदय, चीनी उद्योग हमारे देश में एक बहुत ही प्रमुख उद्योग है और हमारे सिक्स्थ फाइव इयर प्लान में इस पर बहुत ध्यान दिया गया है—

"In the objectives and strategy of the Sixth five year plan, it is said:

'Improvement in capacity utilisation must be regarded as a pre-condition for the success of the sixth plan' "

कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी आर्थिक प्रगति की रीढ़ इसके ऊपर बरकरार है। उपाध्यक्ष महोदय, चीनी उद्योग का विस्तार बिहार और उत्तर प्रदेश में काफी अधिक है। अगर यह कहा जाये कि उत्तर प्रदेश और बिहार चीनी उद्योग की जननी हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सेन शुगर कमीशन ने सिफारिश की थी उनका प्रतिवेदन है कि इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये जहां गन्ने का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है।

आज किसानों को गन्ना उत्पादन के लिये पूरी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। वर्षा के बाद जो पानी जमा हो जाता है, उसकी निकासी और सिंचाई के लिये की पूरी व्यवस्था नहीं है। इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है। 1930 में अकेले उत्तर प्रदेश में 30.73 प्रतिशत चीनी का उत्पादन होता था और बिहार में 40 प्रतिशत। दोनों मिला कर देश का 70 प्रतिशत चीनी उत्पादन इन क्षेत्रों में होता था। अंडर यूटिलाइज्ड क्षमता सारे देश में यदि 6 लाख टन प्रति वर्ष है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में सारे देश का 50 प्रतिशत है।

जहां तक मेरी जानकारी है, पूरे देश में 113 या 115 चीनी मिलें ऐसी हैं जो अपनी क्षमता से नीचे उत्पादन कर रही हैं। सारे देश में 1969-70 से 1979-80 मिलों की संख्या बढ़ कर 215 से 303 हो गई है, लेकिन क्रेसिंग 2.12 लाख टन से घट कर 1.33 लाख टन पर यूनिट हो गया। यह बहुत चिन्ता का विषय है। अगर उत्पादन क्षमता कम हो जाती है तो इससे हमारा आर्थिक ह्रास होता है।

गत वर्ष 65 पैसे प्रति किलोग्राम मूल्य वृद्धि की घोषणा से चीनी मिलों को एक अरब 30 करोड़ की अनिश्चित आमदनी होने की बात कही गई। मिल मालिकों को आमदनी तो हो गई, लेकिन किसानों को कोई सुविधाएं नहीं मिलीं। किसान आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा रहा और गत वर्ष चीनी का उत्पादन कम हुआ मगर मिल मालिकों को मुनाफा हुआ। चीनी मिल संघ के सूत्रों के अनुसार पिछले साल मिल मालिकों को एक अरब का मुनाफा हुआ, जबकि उत्पादन 38 लाख टन ही हुआ। 1978-79 में 59 लाख टन उत्पादन हुआ जबकि इस अवधि में 95 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ मिल मालिकों को हुआ था। फिर भी किसानों का तकरीबन 84 करोड़ रुपया बाकी रह गया था। हमारी सरकार बनने के बाद कुछ पेमेंट हुये हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट

[श्रीमती कृष्णा शाही]

करना चाहती हूं, लेकिन विपक्ष से जो बातें कही गई हैं वे बातें सही नहीं हैं। आज वे किसानों के मसीहा बनते हैं, वे भूल गये हैं कि खेतों में किसानों का गन्ना जला दिया गया था। आलू को कोल्ड स्टोरेज में सड़ा दिया गया था। उस समय आप का ज्ञान-चक्षु नहीं खुला था और अब मंत्री महोदय मिलों के आधुनिकीकरण का बिल लाए हैं तो इस तरह की बातें की जा रही हैं।

मिलों का आधुनिकीकरण होगा, एक्सपेंशन होगा रीहैबिलिटेशन होगा तो गन्ने के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। अगर उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी तो किसान की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? यह बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण बिल है जो किसानों के लाभ के लिये लाया गया है। मेरा ह अनुरोध होगा कि चीनी उद्योग स्टैगनेंट न हो, इसको आप देखें। आपकी मशीनरी कैसे काम करती है इस पर भी आप नजर रखें। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है। किसान को वह आर्थिक लाभ पहुंचाना चाहती है। मिलों का आधुनिकीकरण हो, यह वह चाहती है। लेकिन यह होगा कैसे? पिछली बार भी कुछ सैस लिये गये थे। कुछ मुनाफा हुआ था। लेकिन उस मुनाफे से मिलों का आधुनिकीकरण नहीं हो सका। जब हम लोग उत्तर बिहार में जाते हैं तो देखते हैं कि मिलें काली-काली खाली पड़ी हुई हैं। चारों तरफ से मिलों पर ताले लगे हुये हैं। खण्डहर की शक्ल दिखाई देती है। मिलों में उत्पादन नहीं हो रहा है। इस बिल का हम समर्थन तो करते हैं लेकिन यह चाहते हैं कि जो बड़ी राशि इकट्ठी हो उससे मिलों का उद्धार होना चाहिये और किसानों को शत प्रतिशत नहीं तो अधिकांश में हमारे किसानों को ही लाभ मिलना चाहिये। हमारे मंत्री महोदय किसान हैं। किसानों के प्रति उनके दिल में दर्द है। किसानों की मदद हो, उनको आर्थिक लाभ मिले, इसके लिये वह हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे, यह अपेक्षा हम उनसे करते हैं।

*SHRI S. MURUGIAN (Tiruppattur): Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir, on behalf of D.M.K. I rise to place before the House a few suggestions of mine on the two Bills which have been introduced by the Minister of Agriculture. The Sugar Cess Bill and the Sugar Development Fund Bill are so inter-dependent that it is beyond my comprehension why there should be two separate bills. These two legislative proposals could have been incorporated in one Bill.

This Sugar Cess Bill empowers the Government to levy Rs. 10 as cess per quintal of sugar. But the hon. Minister is for the present proposing to levy only Rs. 5 per quintal. There is no doubt that the price of sugar will rise by 10 paise per KG. Instead of fleecing the common people to whom sugar is an essential commodity, the hon. Minister could have taken recourse to levy a cess or duty of Rs. 200 per tonne of molasses. The consumers of molasses are affluent people and they could bear this burden of extra duty, because presently they are paying only Rs. 60 per tonne of molasses—for 1000 Kgs. only Rs. 60. They manufacture alcohal, which is sold at fancy prices. I wonder how this has escaped the attention of the Minister. He could have collected more money through this levy of Rs. 200 per tonne of molasses instead of making the common people to pay 10 paise more per KG of sugar.

By levying Rs. 5 per quintal, the hon. Minister hopes to collect a sum of Rs. 35 crores in a year. If he decides to collect Rs. 10 per quintal then the collection would be even more than Rs. 70 crores, if not Rs. 100 crores. But

*The original speech was delivered in Tamil.

the potential field for collecting even more than Rs. 100 crores is the levy of Rs. 200/- per tonne on molasses. That would not pinch the molasses-users also. The sugar price will also not go up by 10 paise per KG. I request the hon. Min'ster of Agriculture to take appropriate action in this matter.

The machinery in the sugar mills is more than 25 years old and the plants have all gone beyond the normal span of life. That is why sugar production has declied. If they are modernised, then the sugar production will go up, which will automatically bring down the price of sugar. The private sugar mill owners and also the owners of cooperative sugar factories are amassing enormous profits. It will not be difficult for them to modernise the machinery with their own resources and without such external assistance After all, if they modernise, they will be able to produce more sugar. The Government of India must order them to modernise the plant and machinery within a stipulated period within the resources available in the hands of millowners. The condition that if they do not modern'se within this period their licences would also rescinded will have the required effect on them.

If this is done, then this money could be distributed among the sugarcane growers, who are in distress on many occasions either due to natural causes or due to non-payment of dues by the sugarmill owners. There are many sugarcane breeding stations in the country which are being good work. But, unfortunately the results of research do not reach the sugarcane growers. If this is ensured, then the sugarcane growers will see to it that the yield per hectare is increased. The total production of sugar will go up and consequently the production of sugar will also be enhanced.

Now in 1977-78 the sugarcane production per hectare was 5712 KGs, which in three years, i.e. in 1980-81, went up to 5811 KGs. You will agree with me that this is an insignificant increase when so much research is being done. Then, if you see the total production of sugarcane you will be wondering whether the statistics of the Government are correct. While in 1977-78 the total production of sugarcane was 17.96 million tonnes, in 1980-81 the total production of sugarcane was just 15.40 million tonnes. What is the reason for this? When the production per hectare has gone up, naturally the production of sugarcane in a year should also go up. Instead, it has declined. This also proves another factor. There is need for financially assisting the sugarcane growers, as they seem to be handicapped for funds.

In Tamil Nadu the sugarcane growers get only Rs. 157 per tonne. Some two months ago, we met the hon. Minister and represented to him the injustice being perpetrated on the sugarcane growers of Tamil Nadu. We demanded that the price being given to sugarcane growers in North should be paid to their counterparts in the South. Though we understand that the Minister has passed the orders which have been communicated to those in position in South, yet the growers there are getting only Rs. 170 or at the most Rs. 180 per tonne. Sir, you will agree with me that it is our genu'ne demand that the sugarcane growers in Tamil Nadu should get Rs. 240/- per tonne which is being paid to the farmers in the North. The hon. Minister of Agriculture, who is himself an agriculturist, should ensure that justice is done to the sugarcane growers in the South.

[Shri S. Murugian]

I would suggest that the Khandsari mills should be exempted from this levy, since they are all in the small scale sector. They should also be given financial assistance for modernisation. I understand that a Committee at the national level is being constituted to disburse the money to sugarmills and to sugarcane growers. If there is only a Central Committee, then I am afraid that all the money might be given to one or two States in a particular region. I suggest that there should be four regional committees so that the funds are disbursed impartially to all the four regions. On such Committees, there should be representatives of sugarmill owners, sugarcane growers and also the workers. Then only the funds would be distributed to deserving cases. Before I conclude, I would reiterate that the sugarcane growers in Tamil Nadu should get better price for their produce.

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं समथन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो यह बहुत छोटा बिल है लेकिन इंडस्ट्री के लिये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी यह तो आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, लेकिन अभी माननीय रंगा जी ने जो कहा वह सही है कि गुड़ के बारे में सरकार को सोचना चाहिये। अभी गुड़ के लिये जो गन्ना खरीदा जाता है उसका दाम 10 रु० क्विंटल है। इसलिये गुड़ खरीदना और उसका ऐक्सपोर्ट करना यह मैं जरूरी मानता हूं। . . .चीनी की रुग्ण मिल की मदद के लिये आप की सरकार ने 26 रुपये प्रति क्विंटल दे रही है। ऐसी 6 मिलें हैं। मेरा सुझाव यह है कि जिनको 26 रुपये प्रति क्विंटल सरकार ने दिया है, उसका हिसाब लगाकर, अगर उनसे कुछ पैसा बचता है तो वह माडर्नाइजेशन और रिहैब्लीटेशन के लिये खर्च करना जरूरी है।

मुझे याद पड़ता है कि जिन मिलों को घाटा भी नहीं है, उनको भी पुरानी मिल होने के कारण, उसकी कैपेसिटी साढ़े 12 सौ टन के नीचे होने के कारण, घाटा न होते हुये भी 26 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिल रहा है। मेरा सुझाव यह है कि जो 6 मिलें हैं, जिनका उत्पादन हर साल, गये 3 साल में बराबर 1 लाख टन से ज्यादा हो, उसको इसका फायदा नहीं होना चाहिये क्योंकि जो बड़ी मिलें हैं, वह लाख डेढ़ लाख, 2 लाख टन का क्रशिंग पूरा बनाते हैं, उनको फायदा देने से इससे कोई फायदा नहीं है।

सरकार ने सिक मिलों की जो डैफीनीशन लोक-सभा में एक उत्तर में दी है, मैं उसमें थोड़ा सा सुधार चाहता हूं। अगर कोई पूअर मैनेजमेंट है, इन-एडीक्वेट फंड्ज भी हैं, लेबर ट्रबल भी है, लेकिन मिसयूज आफ फंड्ज जिन्होंने किया है, उनको भी इसमें नहीं रखना चाहिये। क्योंकि पूअर-मैनेजमेंट का मायना मिस मैनेजमेंट और मिसयूज आफ फंड्ज भी होता है। उनको यहां से निकाल देना चाहिये। क्योंकि जिन्होंने एप्रोप्रियेशन करके रुपया दूसरे कपड़ा मिलों में लगाया है, इस बात को नजर में रखते हुये इन मिलों को यह फायदा जाना मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं होगा।

अब हिन्दुस्तान की 325 चीनी मिलों में 42 मिलें पब्लिक सैक्टर में हैं और 158 कोआपरेटिव सैक्टर में हैं और 128 प्राइवेट सैक्टर में हैं। यह जो अभी 26 रुपये क्विंटल का नफा मिल रहा है, वह दो को-आपरेटिव को

छोड़कर बाकी प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर को मिल रहा है। मेरा सुझाव यह है कि जब इस पैसे का बंटवारा हो, तो पब्लिक सैक्टर को प्रधानता, प्राथमिकता देना जरूरी है और सरकार ने जो मिल टेक ओवर किये हैं उनको सहायता देने के अलावा जो बचे, वह किसानों की को-आपरेटिव चीनी मिल बना दें। क्योंकि जो चीनी मिलें ठीक ढंग से चली नहीं होंगी, उनको घाटा होगा और उनको यह देने से फायदा होगा।

आप जो रूल्स बनाएंगे, उनमें काफी सुधार होगा, लेकिन चीनी मिलों की मशीनरी के संशोधन के लिये पैसा देना जरूरी है ताकि उसमें संशोधन हो। वाटर पौल्यूशन देहात में बहुत भारी खड़ा है। इसके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, बगास से पेपर बनता है, मोलासेस निकलता है। इसलिये वाटर पौल्यूशन को दूर करने के लिये पैसा देना चाहिये।

अभी तक जो बातें कही गई हैं कि चीनी के दाम बहुत बढ़े जब 39 लाख टन चीनी पैदा हुई थी। इसका शुगर इंडस्ट्री इन्क्वायरी कमीशन ने भी जिक्र किया है कि कम-से-कम 10 साल की चीनी मिलों के लिये गन्ने की पालिसी हो। जब किसान को अच्छा दाम मिलता है, तो गन्ना बोता है जब उसे कम दाम मिलता है तो गन्ने की बोई कम होती है। गन्ने के किसान को क्या दाम मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यह गन्ने की पैदावार पर होता है। गन्ने के दाम ज्यादा देने के कारण कोई मिल सिक हो जाये तो उसकी मदद करना जरूरी है लेकिन गन्ने के दाम देने के बिना चीनी मिल सिक हो जाती है तो उसका कारण देखना जरूरी है। इतना ही नहीं, केन डैवलपमेंट के लिये, ट्यूबवैल के लिये, ओपन वैल के लिये, दूसरे सिंचाई के साधन के लिये मार्केटिंग लिंक रोज गन्ना ले जाने के लिये हैल्प होनी चाहिये। जैसे महाराष्ट्र में को-आपरेटिव चीजी मिल चल रही है, एवरेज देखने में आया है कि जितना गन्ना पैदा होता है, अभी देश के अन्दर उसका 35 प्रतिशत खाली गन्ना चीनी के लिये आता है, बाकी गुड़ के लिये जाता है। महाराष्ट्र में 80 प्रतिशत से ज्यादा गन्ना चीनी के लिये आता है क्योंकि किसान को वहां को-आपरेटिव से दाम भी अच्छा मिलता है। वहां सोशल वैलफयर एक्टीविटीज भी होती हैं, हस्पताल बनते हैं, कालेज, स्कूल चलते हैं, बाई प्रोडक्ट, डिस्टलरी, वगैरा पेपर भी बनता है। मेरे ख्याल में उसमें कोई खास बात नहीं है। इस बिल के उद्देश्यों में जिक्र किया गया है कि कई फैक्टरियां 25 साल पहले स्थापित की गई थीं। मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करना जरूरी है। देश में और दुनियां में शुगर इंडस्ट्री में नई टैक्नालौजी आ रही है। जो फैक्टरियां नई टैक्नालौजी को अपनाना चाहें, उन्हें भी सहायता देनी चाहिए। इस बिल के उद्देश्यों में 1250 टन की क्रशिंग कैपेसिटी से नीचे वाली फैक्टरियों का जिक्र किया गया है। मैं इसमें भी थोड़ा संशोधन करना जरूरी समझता हूं। को-आपरेटिव चीनी मिलों को आर्थिक हानि हो रही है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो जाए कि हम कन्ज्यूमर पर टैक्स लगाएं और उसका पूरा फायदा प्राइवेट सैक्टर उठा ले। पुरानी मिलें ज्यादातर उत्तरी हिन्दुस्तान में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं और कुछ आंध्र प्रदेश में भी हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन फैक्टरियों का परफार्मेंस ठीक न हो उनके लिये पैसा देने से पहले उन्हें टेक-ओवर कर लिया जाये और उन्हें कोआपरेटिव सैक्टर में रखा जाये।

[श्री बालासाहिब विखे पाटिल]

चीनी के दाम थोड़े से गिर रहे हैं। पार्लियामेंट में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह अगले साल गन्ने के दाम कम नहीं होने देगी और चीनी के दाम इस तरह से तय करेगी कि किसान को गन्ने के दाम ठीक मिलें। रुग्ण मिलें किसानों को गन्ने का ठीक दाम नहीं दे पाती। लेकिन महाराष्ट्र में को आपरेटिव चीनी मिलें और निजी चीनी मिलें एक ही दाम देती हैं, अलग-अलग नहीं। सारे देश में यही व्यवस्था चलनी चाहिये।

इस फंड में हर साल 35 करोड़ रुपया आयेगा। यह पग उठाने के लिये मैं कृषि मंत्री को बधाई देता हूं। अगर दूसरी इंडस्ट्रीज भी इस प्रिन्सिपल को फालो करें, तो अच्छा होगा। देश की जनता और सरकार पर बोझ बढ़ाने के बजाए इंडस्ट्री को खुद ही ठीक तरह से जलाने की व्यवस्था करनी चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहिये।

कई चीनी मिलें, खास तौर से कोआपरेटिव चीनी मिलें, 20-पायंट प्रोग्राम के अन्तर्गत सोशल वैलफेयर का काम कर रही हैं। कृषि मंत्री ने कानपुर में बयान दिया था कि वह निजी मिलों की सोशल एकाउंटेबिलिटी को देखने के बाद उन्हें एक्सपेंशन की इजाजत देंगे। इस फंड में से पैसा देते वक्त इस बात का ध्यान रखना भी जरुरी है।

कुछ शूगर मैगनेट्स चाहे कुछ भी क्रिटिसिज्म करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो चीनी मिलें किसानों को सही दाम देती हैं और किसानों के हितों का ध्यान रखती हैं तथा जो चीनी मिलें किसानों को एक्सप्लाएट करती हैं, उन दोनों को अलग-अलग श्रेणी में रखना चाहिये। ऐसा नहीं है कि सभी चीनी मिलें किसानों के हितों का ख्याल रखती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर और कोआपरेटिव सैक्टर की चीनी मिलों को इस बारे में प्राथमिकता देनी चाहिये, क्योंकि वे निजी मिलों की अपेक्षा किसानों का ज्यादा ध्यान रखती हैं। जब ज्यादा गन्ना होता है, तो निजी मिलें कम दाम देती हैं और जब गन्ना कम होता है, तो दूसरों के साथ कम्पीटीशन करके ज्यादा दाम देती हैं और कहती हैं कि उन्हें घाटा हुआ है। अगर केन प्राइसिज में स्टेबिलिटी होगी, तो रुग्ण मिलों का सवाल ही पैदा नहीं होगा।

मैं चाहता हूं कि चीनी मिलों को रिसर्च वाटर पालूशन को रोकने और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिये भी पैसा दिया जाये। मैंने इस सम्बन्ध में एमेंडमेंट्स भी दी हैं।

मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री दया राम शाक्य (फर्रुखाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चीनी उपकर विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में रुग्ण मिलों की संख्या निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। एन० टी० सी० का एक्सपीरियंस बताता है कि जब रुग्ण दिखाई देने वाली मिलों को एन० टी० सी० राहत देती है या अपने हाथ में लेती है, तो जहां सरकार पर बोझ बढ़ता है, वहां मिल मालिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि श्री पाटिल ने कहा है, मिल-मालिकान चीनी मिलों से पैसा निकालकर, और कभी कभी मशीनरी वगैरह भी निकाल कर, अपनी दूसरी मिलों में लगा कर लाभ उठाने का काम करते हैं। मिल को बीमार दिखाकर सरकार से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसाकि कहा

गया है जो प्रोड्यूस होगा, उस पर सरकार कर लगायेगी, जोकि 10 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से होगा। इस प्रकार की वात सामने रखी गई है। यह भी कहा गया है कि इस प्रकार जो राशि इकट्ठी होगी, उसे उन रुग्ण मिलों, जो कि रुग्ण होंगी, सहायता दी जायेगी। इस सम्बन्ध में मापदण्ड क्या होगा कि कौन सी मिल रुग्ण है, और कौन सी मिल रुग्ण नहीं है। जैसी कि परम्परा चल रही है कि मिल से ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालकर उससे लाभ करते हैं, बाद में उसको रुग्ण दिखाकर सरकार को देते हैं। जैसा कि प्रावधान भी किया जा रहा है, उसके कारण मालिकान की यह कोशिश होगी कि किसी मिल को बीमार दिखाकर सरकार से ज्यादा सहयोग प्राप्त कर सकें। पिछले तीन-चार वर्षों का हिसाब देखा जाए, और उससे नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है वह ठीक है। यदि कोई मिल-मालिक कहे कि यह मिल एक साल से घाटे में जा रही है और मालिकान उस मिल को बीमार दिखाते हैं और कहते हैं कि यह मिल घाटे में जा रही है, केवल इस कारण ही हम उसको रुग्ण घोषित कर दें, बीमार घोषित कर दें और सरकार का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करें, तो यह मेरी दृष्टि में अनुचित होगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार ज्यादा भार उपभोक्ता पर पड़ेगा। सरकार की घोषणाओं के बावजूद भी हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। बजट के पहले और बजट के बाद में भी बराबर कीमतें बढ़ रही हैं। अभी थोड़े समय पहले बनस्पति की कीमत बढ़ाई गई। यहीं पार्लियामेंट में जो घी मिलता था, वह पहले 32 रु० किलो था, फिर 35 रु० किलो हुआ, 37 रु० किलो हुआ और अब 40 रु० किलो हो गया है। सरकार द्वारा बराबर घोषणायें की जाती हैं, लेकिन फिर भी कीमतें नीचे नहीं आ रही हैं। मैं तो कहता हूं कि यह उत्पाद कर लगाकर उपभोक्ता पर बहुत बड़ा भार डालने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार बड़ी मिलों को सहायता दी जा रही है। इस से वास्तव में कोई हित नहीं होने वाला है। सरकार का उद्देश्य यह है कि इन बड़े-बड़े मिल मालिकों को हर प्रकार से सहायता प्रदान कर के स्वयं के हित का साधन बना सकें। अभी पिछले समय में 65 पैसे बढ़ाकर अरबों रुपयों का लाभ इन मिल-मालिकों को पहुंचाया और उस में हिस्सा बंटाया। मुझे तो ऐसा मालूम देता है कि सरकार की नीयत यह है कि प्रोड्यूस पर उत्पाद कर लगाकर उपभोक्ता पर भार डालें और मिल मालिकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचायें, ताकि मिल मालिक हमारे पक्ष में रहें और उन से पैसा प्राप्त होता रहे। मुझे तो इसी प्रकार की भावना दिखाई देती है। मेरा तो आग्रह है कि जहां वास्तव में उत्पादन गिरा है, उन को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जानी चाहिये, उन को सुविधायें प्रदान की जानी चाहियें। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि मिलें उत्पादन का दो-तिहाई हिस्सा भी नहीं पेर पायेंगी, जिस का नतीजा यह होगा कि अगले साल किसान गन्ना पैदा करना कम कर देंगे। इसलिये मिल मालिकों को आदेश होना चाहिये कि जो किसान गन्ना पैदा करने वाले हैं उन का एक-एक गन्ना उन से लेकर पेरने पर दबाव होना चाहिये। यदि न पेर सकें तो उन पर पैनल्टी डाली जानी चाहिए इस बिल के माध्यम से जो यह कर लगाया जा रहा है उस से देश की प्रत्येक जनता पर उस का प्रभाव पड़ेगा। कम से कम वह काश्तकार जो अपना खून-पसीना एक करके खेती करता है, सरकार उस की किसी प्रकार से सहायता नहीं कर पाती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि कम से कम सरकार इस प्रकार से जो पैसा इकट्ठा होता है, उस में ज्यादा से ज्यादा लाभ उन काश्तकारों को दिया जाना चाहिये। इस से जो भ्रष्टाचार पनपने की बात है, जो मिल मालिक फैक्टरीज में गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे अनुचित रूप से पैसा प्राप्त करने की कोशिश

[श्री दया राम शाक्य]

करेंगे, वह भी समाप्त होगी तथा उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

इन शब्दों के साथ में इस बिल का विरोध करता हूं ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, दो बिल पेश हुए हैं—"शुगर सेस बिल और शुगर डेवलपमेण्ट फण्ड बिल ।" जिन के द्वारा 35 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा .....

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : हर साल ।

श्री मूल चन्द डागा : 35 करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे और उसके लिये 35 लाख रुपया खर्च करेंगे—यह एक बहुत बड़ी बात है । इस बिल को आप के ला डिपार्टमेन्ट ने बनाया है, शायद आपने इस को देखा नहीं है । इसमें क्या है—कि जितनी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, ब्यूरोक्रैट्स हैं, वे सारी पावर्स को एक्सर्साइज करेंगे । आप ने हर जगह इसमें यह प्रावीजन किया है—

Everything is,

"as may be prescribed".

आप इसकी क्लाजेज को देखिये—

"4. (2) The manner in which any loans or grants may be made under this section and the terms and conditions subject to which such loans or grants may be made shall be such as may be prescribed."

RAO BIRENDRA SINGH: You read the rules.

SHRI MOOL CHAND DAGA: Where are the rules? We do not want to give all powers to the bureaucrats.

जो सब्जैक्ट हमारे अधिकार का है, जो प्रोसीजरल मैथड है वह हम डैलीगट कर सकते हैं, लेकिन आप फिर कह रहे हैं—

"5. Every application for loan or grant under section 4 shall be made to the Committee in such manner and in such form as may be prescribed."

This is also "as may be prescribed". Further, I quote:

"6. (1) For the purpose of securing speedy consideration and disposal of applications received under section 5 and for considering any problems arising in the course of the administration of this Act, the Central Government may constitute a committee of officers of that Government.

(2) The composition of the Committee and the procedure to be followed by the Committee in the discharge of its functions under this Act shall be such as may be prescribed."

Again, Clause 8 says, "as may be prescribed."

यहां जितने सैक्शन्ज दिये गये हैं, सब में लिखा है—एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड । मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्या करना चाहते हैं । यह सोचने की बात है कि आप 35 करोड़ रुपये इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो किन मिलों के लिये इस्तेमाल करेंगे, कैसी मिलों को रिहैबिलिटेट करेंगे, उन मिल्ज की डेफिनीशन क्या होगी—यह सब आप ने कुछ नहीं दिया है । बस इतना लिख दिया है—

It will be left entirely to the committee of officers.

कौन से आफिसर्ज ? आई० ए० एस० आफिसर्ज होंगे, टैक्नीशियन्ज होंगे, शुगर के एक्सपर्ट होंगे कौन होंगे ?

No. It will be a committee of officers.

उपाध्यक्ष महोदय, ...

MR. DEPUTY-SPEAKER: You want all these things to be prescribed by the Act itself.

SHRI MOOL CHAND DAGA: Only the procedural matters should be delegated. The policy matters should be prescribed in the Act itself. The legislature is not going to give all these powers to the bureaucrats.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister is also a public servant.

SHRI MOOL CHAND DAGA: Because you are in the Chair, I am reading all the provisions. You can understand better. What is this? "The Fund shall be applied by the Central Government...." Then, 'Every application for loan or grant under section 4 shall be made to the Committee in such manner and in such form as may be prescribed.' What is that Committee? "Committee" means the Committee constituted under section 6. Now, what is that committee for? "For the purpose of securing speedy consideration and disposal of applications received under section 5 and for considering any problems arising in the course of the administration of this Act, the Central Government may constitute a committee of officers of that Government." What kind of officers? And who will be those officers? And those officers decide what? What will they decide?

आप जो भी कानून बनाते हैं या जब कोई बिल पार्लियामेंट में लाते हैं, तो उसको पार्लियामेंट में रखने के बाद यह चाहते हैं कि सारी पावर इन लोगों को दे दें। . . . (व्यवधान) . . .

राव बीरेन्द्र सिंह : कैसे आफिसर्स होने चाहिये, यह बतलाइये ?

श्री मूल चन्द डागा : आप का एग्रीकल्चर का एरिया बहुत लम्बा चौड़ा है। आप को हिन्दुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमना है और आलू और प्याज को देखना है। बिल से आप को क्या मतलब है ? यह तो ला डिपार्टमेंट बनाता है, यह मुशीबत आप क्यों मोल लें। यह आप का सबजेक्ट नहीं है।

Now you kindly see clause 5 of the Sugar Cess Bill and clause 8 of the Sugar Development Fund Bill. What is there in these two clauses? I am reading clause 5 of the Sugar Cess Bill, 1981:

> "The Central Government may require an occupier of a sugar factory to furnish, for the purposes of this Act, such statistical and other information in such form and within such period as may be prescribed."

Now read clause 8 of the Sugar Development Fund Bill, 1981:

> "The Central Government may require an occupier of a sugar factory to furnish, for the purpose of this Act, such statistical and other information, in such form and within such period as may be prescribed."

There is no change in neither comma or full point. Why these two things?

मेरी समझ में यह अभी तक नहीं आया है। पहले मंत्री महोदय मुझे बतलाएं क्योंकि उन्होंने बहुत से कानून जल्दी-जल्दी पास करा दिये हैं कि लैवी शूगर प्राइस इक्वलाइजेशन फंड जो पहले बनाया गया था और उस में जो फंड इकट्टा हुआ था, उसका क्या हुआ ? यह आप अपना उत्तर देते समय बतलाइये। 1976 के अन्दर यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया था और पारित किया गया था।

It was passed on 6th February, 1976.

इस फंड के अन्दर जो करोड़ों रुपया है, उसका क्या हुआ ?

where has that money been spent?

उस रुपये का आप ने कहां पर उपयोग किया और वह फण्ड कहां पर है और उसकी रिपोर्ट क्या कभी सदन में पेश हुई है ? हमको यह मालुम होना चाहिये कि वह रकम है कहां और उसमें जो रुपया बच गया था, उसका

[श्री मूल चन्द डागा]

परपज यह था कि उसको किसी काम में लाया जाये ।

राव वीरेन्द्र सिंह : वह काम में लाया जा रहा है ।

श्री मूल चन्द डागा : वह काम में लाया जा रहा है, तो हमको मालुम होना चाहिये ।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : कोर्ट में केस चल रहा है ।

श्री मूल चन्द डागा : ठीक है, ठीक है ।

उस फण्ड का क्या हुआ है ? वह फंड इकट्ठा किया गया और कोर्ट ने यह निर्णय किया कि यह रुपया जो जमा किया गया है, वह ठीक है लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि फंड बनाकर जो रुपया जमा कर लिया, वह रुपया कहां है । ... (व्यवधान) ... मैं यह कह रहा था कि शूगर प्राइस इक्वेलाइजेशन फंड एक्ट के अन्तर्गत जो रुपया जमा हुआ, उसका पता नहीं कि वह कहां है । अब आप ने यह रखा है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस रुपये का हिसाब कौन रखेगा ? और हिसाब किताब कौन पेश करेगा ? अगर आप किसी बिल के मुताबिक कोई रुपया जमा करते हैं तो हमें तो अपना हिसाब पेश कीजिये । (व्यवधान) सदन के मेज पर कब रखा जायेगा ? देयर इज नो क्लाज इन दिस । इसीलिये मैंने अपना अमेंडमेंट दिया है—

"The accounts of the Sugar Development Fund and of the beneficiaries shall be audited by the Comptroller & Auditor General of India or his nominee whose report shall be laid before the House."

मैंने कहा है कि अगर आप को ऐसा करना है तो उसकी रिपोर्ट तो सदन में रखिये । जो रुपया आप देना चाहते हैं वह किस तरह से देंगे ? यह जो आप इंडस्ट्रियल एक्ट में किसी इंडस्ट्री को टेक-ओवर करते हैं तो उसके बारे में आप आब्जेक्टिव लिखते हैं । Which is that industry? The Fund will be applied by the Central Government for making loan for facilitating rehabilitation and modernisation of sugar factories.

हिन्दुस्तान में शूगर के जो बेरन्स हैं उन्होंने पोलिटिक्स को गंदा किया हुआ है, शूगरवालों ने राजनीतिज्ञों को खराब कर दिया है । आप कहते हैं कि 35 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा और यह सालों सालों इकट्ठा होता रहेगा । यह कितने करोड़ रुपया हो जायेगा । वह कहां जायेगा, किस को जायेगा, कौन सी फैक्ट्री को मोबेलाइज करने को दिया जायेगा ? वह रुपया जो आप मंजूर करेंगे, वह किस आधार पर करेंगे, किसको करेंगे ? हमारे बिजनस-मैन, इंडस्ट्रियलिस्टस बड़ी तरकीब जानते हैं कि कैसे सरकार से कम ब्याज पर रुपया लिया जाये । यह जो 35 करोड़ रुपये का भार जनता पर हो जायेगा तो इससे मैं समझता हूं कि शक्कर महंगी होगी ।

आप ने शूगरकेन का काश्त करने वाले काश्तकारों के लिये भी कानून बनाया है । जो कानून बनाया गया है उस कानून के अन्तर्गत अभी तक कोई रकम वसूल नहीं हो रही है । उसके लिये जो आप ने आरडिनेंस निकाला है वह कानून द्वारा सपोर्टिड नहीं है । ये जितना आप कानून बना रहे हैं, मैं अभी पढ़ रहा था—

Sugarcane (Control) Amendment Order 1978

"Where a producer of sugar or his agent fails to make payment for the sugarcane purchased within 14 days of the date of delivery, he shall pay interest on the amount due at the rate of 15 per cent per annum for the period of such delay beyond 14 days. Where payment of interest on delayed payment is made to a canegrowers' society, the society shall pass on the interest to the canegrowers concerned after deducting

the administrative charges, if any, permitted by the rules of the said society."

आप मुझे यह बता दीजिये कि कितने आदमियों से आप ने व्याज वसूल किया है और बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों को वह दिलवा दिया है? अभी उनका करोड़ों रुपया बकाया है। ब्याज तो अलग, उनका मूल पैसा भी नहीं मिल रहा है। अब सरकार ने यह कानून बना दिया कि शूगर लेवी वसूल की जायेगी। बहुत अच्छा है, कर लीजिये। करने के बाद क्या होगा?

इस बिल का मतलब है कि आप सारे पावर्स अपनी एक्जीक्युटिव एजेन्सीज को डेलीगेट कर रहे हैं। पार्लियामेंट को अपनी पालिसी, नीति निर्धारित करनी चाहिए लेकिन आपने पालिसी मेटर्स भी ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में दे दिए हैं। मुझे इन बातों को पढ़ते हुए आश्चर्य होता है। अगर यह बिल पारित हो गया तो पार्लियामेंट के अधिकारों पर ब्यूरोक्रेट्स का एन्क्रोचमेंट होगा। ब्यूरोक्रेसी पार्लियामेंट पर हावी हो रही है और उसका यह तरीका है कि संसद पर नौकरशाही कैसे हावी हो सकती है। इसलिए इन सब बातों पर दुबारा विचार किया जाना चाहिए। इसमें कुछ पता नहीं चलता है, कौन देने वाला है, क्या पालिसी मैटर है, क्या क्राइटेरिया होगा, कैसी कमेटी होगी, कैसे रिकवरी होगी, कुछ भी नहीं बताया गया है।

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Sir, is he supporting the Bill or opposing the Bill?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Daga, they are asking whether you are supporting the Bill or opposing the Bill.

SHRI MOOL CHAND DAGA: Sriman, I have pointed out two things...

MR. DEPUTY-SPEAKER: They only wanted to know whether you are supporting the Bill or opposing it.

SHRI MOOL CHAND DAGA: With these observations I have made, I just want to support the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: So, you are supporting the Bill. With these observations, he is supporting the Bill. Mr. Parulekar, this is a conditional support.

Now Mr. Shamanna.

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South): I want to say a few words regarding these two important Bills. Though these two Bills are small, they are of great importance for this reasons that they deal with one of the vital industries in the country. Therefore, sufficient thought should be bestowed regarding the working of the enactment.

Nobody objects to the objects of the Bill. The machinery have all become obsolete and further more the modern techniques are not being used. For these purposes it is necessary that some impetus must be given for the development of the sugar industry.

But my objection here is that the Bill has been brought hurriedly. The Bill was introduced in December last and during this interval of 2-3 months the Minister should have got together all those interested in this industry and brought a measure to cover all aspects of the sugar industry. That has not been done and a Bill which has in the beginning itself so many loopholes, if so hurriedly passed, will

[Shri T. R. Shamanna]

not be useful to the public or the industry.

The Bill has so many defects. In the first instance, take the constitution of the committee. A committee is to be constituted by having a group of officers. The officers are subject to transfer and they have so many other duties and along with that, as part-time members they may not be able to take sufficient interest in the working of this job. Therefore, the government should have thought of as to how the committee should have been formed.

Furthermore, sufficient provision has not been made regarding the supervision of the collection and when the payment is made as to how it should be utilised, for that also there is no provision. One of the objects is development and research and all that. How that has to be managed and all these things have not been taken into account at all and the Bill has been brought. Therefore, to pass a Bill so hurriedly may not be good to achieve the objects of the Bill. That is why I have sent in an amendment that the Bill be circulated for eliciting public opinion. But, whatever it may be, the Bill has come before us and I just want to make certain observations regarding the Bill.

In the first instance, the Bill is not comprehensive. This Bill does not cover all aspects. Two things are clear—firstly the cess is collected and then it is kept seperate to be used at the discretion of the officers.

One drawback here is that the industries are situated throughout the country. The Central Committee sitting in Delhi may not be able to do the job because thousands of factories are situated in different parts of the country. How can you expect the Central Committee to manage this? I am doubtful about this. I am not sure about one thing. It may be that only those who have got influence or who have got some political backing may take advantage of it but those who are in real need of the same would find it very difficult to get any benefit out of it.

Further, Sir, when the money is given either by way of loan or subsidy, it is not known how it is going to be utilised. The Minister, while speaking on the Bill said that the cost would not go up. Even if it goes up, it will only be marginal. About three years back the sugar cost us Rs. 225 a quintal. Now it will cost us Rs. 325 a quintal, by this measure, they have immediately raised the sugar price by five paise a kilogramme and, after some time it may be raised by ten paise for every kilogramme. Definitely the freight on sugar and cost of fertilises have gone up. And within a year or two, I am quite sure, the rate will be doubled. It would be more than what it was about three years back. The revenue expected to the Government on account of the cess is of the order of thirtyfive crores of rupees. Would it be sufficient at all?. What I want is that there should be a matching. grant given by the Government in addition to whatever is being collected by them at least till such time as the industries get stabilised. After all, the money that is collected will go to the Consolidated Fund of India. When it goes into the Consolidated Fund, it will be like a ocean. I do not know how much is going to be collected and spent. Therefore, it would be better if the fund is kept separate. Instead of depositing it into the Consolidated Fund of India, it is better if a separate account is maintained for the cess that is collected. Sir, I have seen the working of so many cess funds. Cess is collected and it is utilised for some other purpose. The Government is not very particular about how it is being spent. If the money goes into the Consolidated Fund, then budgeting comes in. There-

fore, I suggest that steps should be taken to see that a separate account is operated by the Chairman or the Secretary of the Committee who may be appointed for the purpose.

Formerly, Sir, sugar was used by the rich people while the jaggery was used by the poor people. Nowadays most of the people use sugar either for the preparation of coffee, tea or peppermint. Thereby, the common man is hit hard. Therefore, care should have been taken by the Minister to see that there is no rise in the price of sugar. We see the price is rising day by day in so far as sugar is concerned.

It is with that end in view that I have brought forward certain amendments to this Bill. Without wasting the time of the House, I would like to make a few points. Firstly, as already stated, the Government should give a matching grant. The Government will earn the revenue of the order of Rs. 35 crores on account of this cess to meet certain problems faced by this industry. Therefore, I say it is very necessary that Government to should give some matching grants at least till such time when, they put the machinery in order. I have tabled my amendments to the effect that all moneys received for the Fund shall be kept in a separate account which shall be operated by the Chairman and the Secretary. As it is, the moneys collected will go into the Consolidated Fund of India. There may be a considerable delay in utilising the amount. It would be better therefore if a separate account is kept for this purpose. There is no provision in the Bill saying as to how the money collected and deposited into the Consolidated Fund is going to be spent. By my another amendment, I have suggested that the Committee may be appointed for the purpose which shall have powers to check the utilization of loan or grant given to the factory or unit as the case may be. Sir, my next amendment concerns about the membership of the Committee. The Committee shall consist of a few officers and these officers will be part-time officers. Sir, they will not be able to do a good job. So, I have suggested that the Committee shall not have more than five Government officers and there should be three Members of Parliament—one from Rajya Sabha and two from Lok Sabha. I have further suggested that all interests, namely, consumers, growers and factory owners should get representation on this Committee. It is very necessary that the Committee should be broadbased and all interests get represented on the Committee. because when a thig is done by the Central Goernment then eevrything is done according to the whims and fancies of the Goernment. Sir, it is on account of these reasons that I say that the Bill is incomplete; it is not comprehensive and it does not cover all the aspects. So, I have suggested for circulation of the Bill for eliciting public opinion and after we get the public opinion then a comprehensive Bill can be brought forward before the House.

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया। पहली बात यह है कि हमारे मोहतरम वजीर एक अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं, मुख्य मंत्री रह चुके हैं और हमारे साथ 1971 से हैं, हम इनकी क्षमता जानते हैं। आपके दो बिल हैं—एक शुगर सैस बिल और दूसरा शुगर डेवलपमेंट फंड बिल। डागा साहब ने कुछ अच्छी मूल बातें उठायी हैं, उन बातों के मुताल्लिक मैं अपने मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उनकी जो शिकायत है वह कैसे दूर होगी ?

राव बिरेन्द्र सिंह : करेंगे दूर।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं जानता हूं कि आप मैन आफ ऐक्शन हैं। सवाल यह है कि उनकी शंका दूर हो। पार्लियामेंट पूरे मुल्क का जामिन है और मुहाफिज है और सुप्रीम है। इसलिये

[श्री जमीलुर्रहमान]

ऐसी बात न हो कि पार्लियामेंट अन्डरमाइन हो जाय। इसकी इजाजत न पार्लियामेंट देगी और न मंत्री जी आप ही देंगे।

सवाल पैदा होता है कि आप देखेंगे कि 1–10–55 तक दो कोआपरेटिव शुगर मिलें थीं, और जब तरक्की हुई तो 153 कोआपरेटिव शुगर मिलें हो गयीं। उसके खिलाफ प्राइवेट सैक्टर में भी कुछ मिलें हैं, और नतीजा यह है कि जो आपने क्रशिंग का एक मुद्दा बनाया है कि 1,250 टन केन क्रशिंग पर डे होना चाहिये, उससे जो कम होगा उसको अनइकोनामिक करार देंगे। यह सही बात है। तो कोआपरेटिव बढ़े उसमें हमारा विश्वास है। कोआपरेटिव शुगर मिल्स की मशीनरी को कैसे डेवलप किया जाय, कैसे फाइनेंस किया जाय, कसे किसानों की मदद हो, गन्ने की पैदावार बढ़े इस पर आपका पूरा ध्यान जाना चाहिये। और फंड्स जो कलेक्ट होंगे उसको मिल के मौडर्नाइजेशन पर खर्च किया जाय, किसानों को सही दाम समय पर दिया जाय और वर्कर्स को दिया जाय, इन बातों पर आप गौर करें।

हमारे साथी कुछ बात कह रहे थे। यह उनकी शंका है कि चीनी की कीमत बढ़ेगी। चीनी का मामला बहुत संगीन है। अगर कहीं इन्सान के बदन में शुगर हो जाय तो गड़बड़ हो जाती है, और कहीं दूसरी जगह शुगर हो जाय तो उसमें भी मामला गड़बड़ है। शुगर का मसला इंसान की जिन्दगी के लगाव के साथ है। छोटे-से-छोटे गांव के किसान, मजदूर और एक बड़े से बड़े आदमी को भी शुगर की जरूरत है, लेकिन मैजोरिटी आफ पापूलेशन गांव में गरीब लोगों की है, इसलिये उसकी कीमत में बढ़ोतरी न हो, यह बात आपको निश्चित करनी चाहिये और इसका आपको आश्वासन देना चाहिये। शुगर के मामले में पिछले 2, 3 और 4 सालों में बड़ी बड़ी बातें उठी हैं, बड़े आन्दोलन हुए हैं।

एक बात साथ-साथ कह दूं कि शुगर के आन्दोलन का इल्जाम हमारे ऊपर रखा जाता है। मैं इसकी पुरजोर तरदीद करता हूं, वह इसलिये कि आपको भी मालूम है, सारे देश को मालूम है, बुद्धिजीवियों को मालूम है, भले ही गांव वालों को मालूम न हो, वैस्टर्न यू० पी० में हजारों एकड़ जमीन में जो गन्ना लगा था, उसको जलाकर, पकाकर खाक कर के शुगर का शार्टेज मार्केट में कर दिया गया था। इसमें कोई दो राय मैं नहीं मानता हूं, आप जानते हैं। उसका इल्जाम हमारी पार्टी पर हमारी सरकार पर 1980 के बाद थोपा जाता है।

(व्यवधान)

यह बिजली की लाइट तो है नहीं कि बटन दबाइये और बिजली जल गई। किसी बात का इकनामिक इफैक्ट 2, 3 साल के बाद पड़ता है। किया आपने, उसका इफैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ेगा ही। हम उससे निपट भी रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। हमारी नीति भी है, हम लोगों के लिये बचनबद्ध हैं, हमारी पार्टी लोगों को राहत पहुंचाने के लिये बचनबद्ध है, भले ही आप करें या न करें।

किसान को सही ढंग से पैसा मिले ..

MR. SPEAKER: Your speech is very sweet, as sweet as sugar. Let your speech be short; please conclude.

SHRI JAMILUR RAHMAN: Thank you, Sir. I will conclude.

किसान को सही ढंग से पैसा मिल जाये, जो शुगर फैक्टरी में मजदूरी करते हैं, उनको सही ढंग से उचित पैसा मिल जाये और वक्त पर मिल जाये, सबसे बड़ी बात यह है। इस पर आपका ध्यान जाना चाहिये।

शुगर की इंडस्ट्री खास तौर से महाराष्ट्र में सदर्न साइड में, बिहार और उत्तर प्रदेश में है। मैं आन्ध्र और महाराष्ट्र सभी को मिलाकर यह कहता हूं। यह इंडस्ट्री बड़ी मेजर

इंडस्ट्री है। जहां तक मुझे इल्म है, आपने सिर्फ एक ही रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके लिये कानपुर में बनाई है। मेरी गुजारिश है कि आप कम-से-कम दक्षिण में, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाइये जिससे पूरी तरह इसकी डैवलपमेंट हो सके। कर्नाटक में भी बढ़ाइये, तमिलनाडु को मैं एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूं। बिहार में तो बननी ही चाहिये, उसकी वजह यह है कि नार्थ बिहार में शुगर मिल बहुत हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया में एक शुगर मिल बनमनखी में है। मैं वजीर साहब का ध्यान इस पर खींचना चाहता हूं, वह बीमार होकर खत्म हो गई थी परन्तु बड़ी मुश्किल से हमारे मुख्यमंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र ने उसको मदद पहुंचाकर चालू कराया। लेकिन उस स्टेट में रिसोर्सेज कम हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उस मिल को बढ़ायें ताकि पूर्णिया के किसानों को और उसके साथ लगते हुए सहरसा जिले के किसानों और मजदूरों को राहत मिले, मुल्क की पैदावार बढ़े मुल्क की इकानामी मजबूत हो।

एक बात कहकर मैं बैठ जाऊंगा, अब चीनी का वितरण.......

(व्यवधान)

मैं मुहतरिम वजीर साहब का ध्यान एक और अहम मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं। चीनी को एफ० सी० आई० के जरिये बंटवाया जाता है। यह डिस्ट्रिब्यूशन चैनल इतना गड़बड़ है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने पिछले साल भी लिखा था और इस साल भी लिखा है कि एफ० सी० आई० में बहुत गड़बड़ियां और करप्शन हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। वजीर साहब मेहरबानी फरमा कर एफ० सी० आई० को टाइट करें उसके काम को गौर से देखें और गड़बड़ियों को पकड़ें, तो आइन्दा कोई गड़बड़ी न हो। उसकी तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह एक ऐसा डिस्ट्रिब्यूशन चैनल है, जहां से गांवों को चीजें पहुंचती हैं।

हमारी पार्टी, हमारी नेता और हम सब लोग इस बात के जामिन हैं कि लोगों को राहत मिले और चीजों के दामों में कमी हो। हम उसके लिये कोशिश भी कर रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि अपने मुल्क की चीनी की पैदावार को बढ़ाया जाये और विदेशी मुद्रा खर्च करके चीनी के इम्पोर्ट को बन्द किया जाये। हालांकि मेरे पास इस बारे में फिगर्ज हैं, लेकिन उन्हें देने का टाइम नहीं है। मैं मोटी बात यह कहना चाहता कि अगले सालों में हमारे मुल्क में चीनी की बहुत पैदावार होने वाली है। सिक्स्थ फाइव-यीअर प्लान में शूगर पर बड़ा जोर दिया गया है। शूगर की पैदावार को बढ़ाना चाहिये और एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना चाहिये, ताकि दूसरे मुल्कों से चीनी मंगाने पर हमारी विदेशी मुद्रा खर्च न हो। चीनी के इम्पोर्ट को बन्द करना चाहिये।

इस कानून के तहत सरकार 35 करोड़ रुपये सालाना कलेक्ट करेगी। यह एक अच्छा खासा फंड होगा। उसे खर्च करने के इन्तजाम में पीपल्ज इनवाल्वमेंट भी होना चाहिये। मैं डागा साहब से इस बारे में मुत्तफिक हूं कि इस काम को सिर्फ अफसरों पर न छोड़ दिया जाये।

इन अलफाज के साथ मैं दोनों बिलों की पुरजोर ताईद करता हूं।

[شری جمیل الرحمن (کشن گنج):

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب - میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا - پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے محترم وزیر ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں مکھیہ منتری رہ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ۱۹۷۱ع سے رہے - ہم ان کی لیاقت جانتے ہیں آپ کے دو بل ہیں ایک شوگر سیس بل اور دوسرا شوگر ڈیولپمنٹ فنڈ بل - ڈاکا صاحب نے کچھ اچھی باتیں اٹھائی ہیں ان باتوں کے متعلق میں اپنے منتری جی سے کہنا چاہوں گا کہ ان کی جو شکایت ہے وہ کیسے دور ہوں گی -

راؤ بریندر سنگھ : کریں گے دور -

شری جمیل الرحمن : میں جانتا ہوں کہ آپ 'مین آف ایکشن' (*Man of Action*) ہیں - سوال یہ ہے کہ ان کی شنکا دور ہو - پارلیامنٹ پورے ملک کا مالک ہے اور محافظ ہے اور سپریم ہے - اس لئے ایسی بات نہ ہو کہ پارلیامنٹ انڈر مائین ہو جائے - اس کی اجازت نہ پارلیامنٹ دے گی اور نہ منتری جی آپ ہی دیں گے -

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ۱-۱۰-۱۹۵۵ تک دو کوآپریٹو شوگر ملیں تھیں اور جب ترقی ہوئی تو ۱۵۳ کوآپریٹو شوگر ملیں ہو گئیں - اس کے خلاف پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کچھ ملیں ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ جو آپ نے کرشنگ کا ایک مدا بتایا ہے کہ ۱۲۵۰ ٹن کین کرشنگ روزانہ ہونا چاہئے - اس سے جو کم ہوگا اس کو ان اکونامک (*uneconomic*) قرار دیں گے - یہ صحیح بات ہے تو کوآپریٹو بڑھے اس میں ہمارا وشواس ہے - کوآپریٹو شوگر ملز کی مشینری کو کیسے ڈیولپ کیا جائے - کیسے کیسے فائننس کیا جائے کیسے کسانوں کی مدد ہو گنے کی پیداوار بڑھے اس پر آپ کا پورا دھیان جانا چاہئے - اور فنڈس جو کلیکٹ ہوں گے اس کو مل کے موڈرنائزیشن پر خرچ کیا جائے کسانوں کو صحیح دام سمے پر دیا جائے اور ورکرس کو دیا جائے ان باتوں پر آپ غور کریں -

ہمارے ساتھی کچھ بات کہہ رہے تھے یہ ان کی شنکا ہے کہ چینی کی قیمت بڑھے گی - چینی کا معاملہ بہت سنگین ہے - اگر کہیں انسان کے بدن میں شوگر ہو جائے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے اور کہیں دوسری جگہ شوگر ہو جائے

تو اس میں بھی معاملہ گڑبڑ ہے - شوگر کا معاملہ انسان کی زندگی کے لگاو کے ساتھہ ہے - چھوٹے سے چھوٹے گاوں کے کسان مزدور اور ایک بڑے سے بڑے آدمی کو بھی شوگر کی ضرورت ہے ایکن میجورٹی آف پاپولیشن *Majority of population* گاوں میں غریب لوگوں کی ہے اس لئے اس کی قیمت میں بڑھوتری نہ ہو وہ بات آپ کو نشچت کرنی چاہئے اور اس کا آپ کو آشواسن دینا چاہئے - شوگر کے معاملے میں پچھلے دو تین اور چار سالوں میں بڑی بڑی باتیں اٹھی ہیں بڑے آندولن ہوئے ہیں -

ایک بات ساتھہ ساتھہ کہہ دوں کہ شوگر کے آندولن کا الزام ہمارے اوپر رکھا جاتا ہے - میں اس کی پرزور تردید کرتا ہوں - وہ اس لئے کہ آپ کو بھی معلوم ہے سارے دیش کو معلوم ہے پڑھے لکھے علم والوں کو معلوم ہے بھلے ہی گاوں والوں کو معلوم نہ ہو ویسٹرن یو - پی - میں ہزاروں ایکڑ زمین میں جو گنا لگا تھا جلا کر پکا کر خاک کرکے شوگر کا شارٹیج مارکیٹ میں دو جیا گیا تھا - اس میں کوئی دو رائے میں نہیں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں - اس کا الزام ہماری پارٹی پر ہماری سرکار پر ۱۹۸۰ع کے بعد تھوپا جاتا ہے -

(انٹرپشن)

یہ بجلی کی لائٹ تو ہے نہیں کہ بٹن دبائے اور بجلی جل گئی - کسی بات کا اکانومک ایفیکٹ دو تین سال کے بعد پڑتا ہے - کیا آپ نے اس کا ایفیکٹ تو ہمارے اوپر پڑےگا ہی - ہم اس سے نپٹ بھی رہے ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں - ہماری نیتی بھی ہے ہم لوگوں کے لئے وچن ودھہ ہیں ہماری پارٹی لوگوں کو راحت پہنچانے کے لئے پابند زبان ہے بھلے ہی آپ کریں یا نہ کریں -

کسان کو صحیح ڈھنگ سے پیسا ملے......

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your speech is very sweet, as sweet as sugar. Let your speech be short; please conclude.

SHRI JAMILUR RAHMAN: Thank you, Sir, I will conclude.

کسان کو صحیح ڈھنگ سے پیسا مل جائے جو شوگر فیکٹری میں مزدوری کرتے ہیں ان کو صحیح ڈھنگ سے اچت پیسہ مل جائے اور وقت پر مل جائے سب سے بڑی بات یہی ہے - اس پر آپ کا دھیان جانا چاہئے -

شوگر کی انڈسٹری خاص طور سے مہاراشٹر میں سدرن سائڈ میں بہار اور اترپردیش میں ہیں - میں آندھرا اور مہاراشٹر سبھی کو

[شری جمیل الرحمن]

ملا کر یہ کہتا ہوں - یہ انڈسٹری بڑی مشہور انڈسٹری ہے - جہاں تک مجھے علم ہے آپ نے صرف ایک ہی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اس کے لئے کانپور میں بنائی ہے - میری گزارش ہے کہ آپ کم سے کم دکشن میں آندھرا پردیش مہاراشٹر میں بھی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ بنائیے - جس سے پوری طرح اس کی ڈیولپمنٹ ہو سکے - کرناٹک میں بھی بنائیے - تامل ناڈو کو میں ایکسکلوڈ (*exclude*) نہیں کر رہا ہوں - بہار میں تو ریسرچ انسٹیٹیوٹ بننی ہی چاہئے - اس کی وجہ یہ ہے کہ نارتھ بہار میں شوگر مل بہت ہیں اور ہمارے ڈسٹرکٹ پورنیہ میں ایک شوگر مل بن منکھی میں ہے - میں وزیر صاحب کا دھیان اس پر کھینچنا چاہتا ہوں - وہ بیمار ہوکر ختم ہو گئی تھی - پرنتو بڑی مشکل سے ہمارے مکھیہ منتری ڈاکٹر جگن ناتھ مشرا نے اس کو مدد پہنچا کر چالو کرایا ہے - لیکن اس اسٹیٹ میں ریسورسز کم ہیں میں آپ سے گذارش کروں گا کہ اس مل کو بڑھائیں تاکہ پورنیہ کے کسانوں کو اور اس کے ساتھ لگتے ہوئے سہرسہ ضلع کے کسانوں اور مزدوروں کو راحت ملے - ملک کی پیداوار بڑھے ملک کی اکانومی مضبوط ہو -

ایک بات کہہ کر میں بیٹھ جاوں گا - اب چینی کا وزن . . . . .

(انٹرپشن)

میں محترم وزیر صاحب کا دھیان ایک اور اہم معاملے کی طرف دلانا چاہتا ہوں - چینی کو ایف-سی-آئی- F.C.I. کے ذریعہ بٹوایا جاتا ہے - یہ ڈسٹریبیوشن چینل اتنا گڑبڑ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا - میں نے پچھلے سال بھی لکھا تھا اور اس سال بھی لکھا ہے کہ ایف-سی-آئی- F. C. I. میں بہت گڑبڑیاں اور کرپشن ہیں - میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں - وزیر صاحب مہربانی فرماکر ایف-سی-آئی- F.C.I. کے انتظام کو ٹھیک کریں - اس کے کام کو غور سے دیکھیں - اور گڑبڑیوں کو پکڑیں تو آئندہ کوئی گڑبڑی نہ ہوگی - اس کی طرف خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے - کیونکہ وہ ایک ایسا ڈسٹریبیوشن چینل ہے جہاں سے گاؤں کو چیزیں چینی وغیرہ پہنچتی ہیں -

ہماری پارٹی ہماری نیتا اور ہم سب لوگ اس بات کے حامی ہیں کہ لوگوں کو راحت ملے اور چیزوں کے داموں میں کمی ہو ہم اس کے لئے کوشش بھی کر رہے ہیں - آج ضرورت اس بات کی ہے

که اپنے ملک کی چینی کی پیداوار کو بڑھایا جائے - اور بدیشی مدرا خرچ کرکے چینی کے امپورٹ کو بند کیا جائے - حالانکہ میرے پاس اس بارے میں فیگرس ھیں - لیکن انہیں دینے کا ٹائم نہیں ھے - میں موٹی بات یہ کہنا چاھتا ھوں کہ اگلے سالوں میں ھمارے ملک میں چینی کی بہت پیداوار ھونے والی ھے - سکسٹھ فائو ایئر پلان
Sixth Five Year Plan
میں شوگر کی پیداوار پر بڑا زور دیا گیا ھے - شوگر کی پیداوار کو بڑھانا چاھئے - اور انڈسٹریز کو ٹھیک کرنا چاھئے - تاکہ دوسرے ملکوں سے چینی منگانے پر ھماری بدیشی مدرا خرچ نہ ھو - چینی کے امپورٹ کو بند کرنا چاھئے -

اس قانون کے تحت سرکار ۳۵ کروڑ روپئے سالانہ کلیکٹ کرے گی - یہ ایک اچھا خاصہ فنڈ ھوگا - اسے خرچ کرنے کے انتظام میں پبلک انوالومینٹ ھونا چاھئے - میں ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں متفق ھوں کہ اس کام کو صرف افسروں پر نہ چھوڑ دیا جائے - ان الفاظ کے ساتھ میں دونوں بلوں کی پرزور تائید کرتا ھوں -]

SHRI BHOGENDRA JHA (Madhubani): Mr. Deputy-Speaker, Sir, there cannot be two opinions about the need for the development and modernisation of most of the sugar mills. For that development, no extra cess is required. Sir, the present Bill for levying cess on sugar is not going to help the mills. In the Statement of Objects and Reasons it is stated as follows:

> "3. The problem, in fact, needs analysis, in depth, of unit-wise maladies and coordination and supplementing of financial assistance under other schemes with suitable measures which would give a unit a chance to rehabilitate itself so that, after a period, the assistance could stop and the unit would go on its individual efforts."

Sir, it is guaranteed according to the Objects of the Bill itself that as long as the mill is not in a position to stand on its own legs, the mill will be given some financial assistance and in that case, as we all know, none of the mills will show on record that they have become self-reliant or rehabilitated themselves. They will show that permanently they are running into loss so that they go on receiving the assistance.

With regard to levy, we were very unfortunate and we could not do anything when there was a change of Government. In the name of Janata Party, the Government came to power in 1977. But that Government also reduce the prices of sugarcane and increased the prices of sugar. The price of sugar was reduced by Rs. 2 per quintal and that of sugar was raised, first, from Rs. 2.15 to Rs. 2.30 and then it was controlled. That way the mill-owners gained.

The present Government had promised to the people to bring down the prices of sugar. The Prime Minister herself during her election campaign was blaming the Janta Party for high prices of sugar. But the sugar prices have since then jumped up, not gone down, have not remained stagnant, but jumped up. This year this Government

[Shri Bhogendra Jha]

has reduced the minimum price of sugarcane again by Rs. 2/- per quintal, but the prices of sugar have not been reduced; in fact, these have gone up.

The present Government and the Janta Government preceding it had told the peasants in clear terms through their actions that their masters are not the electors of our country, not the cane growers, but the private mill-owners. They are their masters and in their interests and at their dictates, these Government had acted. That has been the behaviour of the present Government or the Janata Government. I am talking of the experience the peasants and the country had got on the basis of the sugar policy of these two Governments.

In reply to my question on November 17, 1980 in this House the hon. Minister Rao Birendra Singh, had stated that the factories in U.P. owed as on 31-5-1980 Rs. 8.95 crores and those in Bihar owed Rs. 3.46 crores as cane price arrears to the agriculturists. Since then efforts were made to ensure that the arrears are paid back to the growers.

15.52 hrs.

[SHRI HARINATHA MISRA *in the Chair*]

Notices were issued to ten mills in U.P. and 3 mills in Bihar to compel them to pay back the arrears. I again say that there is some very serious lacuna in the policy of the Government which helps the millowners particularly the private sector millowners.

Then, again, the hon. Minister, Rao Birendra Singh, while replying to my question in this House on 7th July, 1980 stated:

"I have already explained that the factories are taken over by the Government when the factories are in arrears of excessive amount to be paid to the sugarcane growers and the first duty of the Government is then to see that the arrears are liquidated after they take over. The management of the mills is only temporary. In Bihar we have not taken over any mill."

When the arrears are huge, in that case, the mill is taken over by the Government, it clears the dues and then hands over the mill back to the priate owners. Can't it be said that this Government is only acting as a good manager for the capitalists, who own the sugar mills, and in their own interests as against the interest of the consumers and the growers. I am talking of the Government policy. I am quoting the Minister; I do not mean anything against him personally, but the present Government.

In this context, I do know, and you must also be knowing, that the mills which we had taken over in Bihar, were in huge arrears. Some machinery was also stolen away. They have been rehabilitated to some extent and the arrears have been cleared by the Government to some extent. Of course it is at the cost of the people, because ultimately the people have to pay.

MR. CHAIRMAN: And I think, the old machinery, 70 to 75 years old, has continued to remain.

SHRI BHOGENDRA JHA: That is there. As I said, clearance of the arrears has been made by the Government after the mills were taken over by the Government. Even the parts of the machinery were stolen away. Samastipur was the worst case.

What I want to say is that the whole policy of the Government is to help the profit motive and the profit requirements of the private owners or the capitalists. I think, the present Bill also is in that direction.

As recently as 31st August 1981, in reply to a question, the Minister had said:

"Prsently the excise duty on free sale sugar is about Rs. 94/- per quintal. On an all-India average basis, the excise duty on levy sugar is around Rs. 38 per quintal. The excise benefit per quintal of sugar released under the incentive scheme is, thus,

about Rs. 56 at present on an all-India average basis."

So, between free sale and levy sugar, there is a difference of Rs. 560/- per tonne of sugar. So, they are rewarded Rs. 56/- per quintal in the case of free sale sugar. The very policy of free sale sugar is legalizing black market. It is done practically in that manner. Free sale, open market is actually black market. In such a situation, for levy sugar there is an exemption of Rs. 56/- per quintal i.e. Rs. 560/- per tonne.

What is the motivation behind it? I am quoting from the written answer given by the Minister. It says:

> "Concessions are allowed to the factories eligible under the scheme, as otherwise due to hardship caused by the steep rise in the cost of plant and machinery, these factories would not be economically viable, and new factories and substantial expansions would not be implemented, as needed."

So, for expansion and other purposes, a relief of Rs. 56 per quintal is given in excise duty at present. This is the answer given earlier. And Rs. 10/- per quintal extra is proposed to be given now. What I say is that there is urgent need for modernization of the mills, and urgent need for rehabilitation of many mills. But the remedy lies not in raising the cess on sugar, but in nationalizing the sugar industry as a whole, except those in the cooperative sector.

I want to remind the Minister that the Bihar and U.P. Assemblies had uninimously passed Resolutions asking for the nationalization of the sugar mills; and they have gone unheeded. This has proved that the tycoons who own sugar mills are much more powerful than our democratic system and legislatures which had unanimously resolved that the mills should be nationalized. They have proved much more powerful than the biggest two States, where they have adopted the resolutions unanimously. There was no difference between the ruling party and the Opposition.

In such a situation, we know how the valuable *bagasse* is burnt in the furnace in place of coal. Modernization is required, and machinery has to be replaced, so that *bagasse* can become the valuable raw material for the production of fine quality paper. It is not being done. So, the remedy lies in nationalizing the sugar mills, and not in raising the price of sugar. It lies in maintaining parity between the price of cane paid to the grower and the price of sugar charged from the consumers. That parity has to be maintained, and that parity has to be strictly implemented and strictly followed on a scientific basis.

So, it was decided long ago that there should be a ratio between the price of sugar and that of sugarcane. Now none talks about it. The Minister did not even hint that such a ratio should exist. In such a situation I think this Cess Bill should not be supported by this House. I do stand to urge upon the House to reject the Bill.

16 hrs.

With regard to development, there cannot be two opinions. But development is lacking, not because of lack of money, but because the profits of those mills had been taken away somewhere else, and turned into unearned money and as money to be spent elsewhere—not for productive purposes, but in most cases for unproductive purposes. It is not a case where for lack of money, modernization is lagging behind. In such a situation, I urge upon the House to oppose this Cess Bill. We had seen the insistence of the Minister, when he sought the special permission of the Speaker, to waive some rules to move this Bill. The Minister sought the waiver of the rules as it was so urgent to move this Bill. Then he moved the Bill and it is being discussed now after more than one week! It shows that it is not so urgent now. The waiver of the rules was sought and got, because at that time it was so important. Again, I say that it is not so urgent. But if the

[Shri Bhogendra Jha]

Minister thinks that it is very necessary, he should accept our amendment that the Bill be circulated for eliciting public opinion, or may be referred to a Joint Select Committee which may go into the entire matter of the development of the mills, replacement of the old machinery or modernisation of machinery and all round development, and to ensure that the minimum acreage of sugarcane yields the maximum of sugar so that we become not only self-reliant, not only we stock sugar, not only do we never have to import but we will also be able to export sugar continuously on a dependable basis. It can become a dependable source for earning foreign exchange. That is possible and it is desirable. There cannot be two opinions about it. That may be done. But I will urge upon the House to see that this Bill is referred to a Select Committee and that it is not passed in hurry here. With these words, I oppose the Cess Bill.

MR. CHAIRMAN: Shri Harish Rawat.

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : अधिष्ठाता जी, माननीय कृषि मंत्री की जो भावना शूगरकेन ग्रोअर्स के प्रति और शूगर इंडस्ट्री के डेवलेपमेंट के लिए है, उस के लिए मैं उन को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : आप जरा आगे आकर बोलिए और जोर से बोलिये।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): He is supporting a bad case. That is why he cannot speak louder.

MR. CHAIRMAN: The case is certainly a good one.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: He is afraid of the Minister.

श्री हरीश रावत : आप किसानों के नेता हैं और इस देश की इस बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण इंडस्ट्री की भलाई के लिये जितने अच्छे कदम पिछले दो सालों के अन्दर राव साहब ने उठाये हैं, उस के लिए निःसन्देह शूगर इंडस्ट्री और और हम सब उस के कृतज्ञ हैं।

यह बिल जो मंत्री जी यहां पर लाए हैं, यह उचित तो है लेकिन हमारी जो शूगर इंडस्ट्री है, उस के लिए आज जरूरत इस बात की है कि हम एक पालिसी बनायें शूगर केन डेवलपमेंट से लेकर उस के क्रशिंग तक, उसके मार्केटिंग तक। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं बनायेंगे, मैं समझता हूं कि इस तरीके से पैच वर्क कर के, इस तरीके से एडहाक एरेंजमेंट कर के हम एक अस्थायी हल तो निकाल सकते हैं, कुछ अस्थायी तौर पर राहत दे सकते हैं लेकिन जो स्थायी राहत देने की बात है, जिस के लिए माननीय राव साहब के मन में निश्चित रुप से तड़प होगी, वह पूरी नहीं हो सकती है।

सभापति महोदय : 'तड़प' की बात आप को मालूम है।

श्री हरीश रावत : निश्चित तौर पर। दिल की बात दिल ही समझ सकता है और उनके और हमारे दिल के बीच में कोई दूरी नहीं है और है भी तो चेयरमैन साहब, दोनों के दिलों को मिलाने में आप की मदद ले लेंगे।

मैं राव साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रुग्ण इंडस्ट्री को, इस बीमार इंडस्ट्री को सुधारने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने की जरुरत है। हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर अधिकांश चीनी मिलें रुग्ण हैं और उन की मदद के नाम पर आप उनको बहुत ज्यादा पैसा भी देते हैं। कभी वे डरा-धमका कर पैसा लेते हैं कि हम मिलों को बन्द

कर देगें और कभी गन्ना पैदा करने वाला किसान सर पर खड़ा होता है। इस तरह से आप कभी किसानों के दबाव में और कभी उनके दबाव में ऐसी चीनी मिलों की बहुदा मदद कर देते हैं और ऐसी चीनी मिलें भी देश में हैं, जिन को जिस मकसद के लिए पैसा दिया जाता है, वह जिस मकसद के लिए पैसा लेती है, उस में उस पैसे को उपयोग में नहीं लाती है और किसानों को जो कठिनाइयां हैं, किसानों की जो शिकायतें हैं, वे अपनी जगह पर बनी रहती हैं और उनको ठीक समय पर पैसा नहीं दिया जाता है। पार्लियामेंट की जो शिकायत है, वह भी अपनी जगह पर बनी रहती है और माड्रनाइजेशन के नाम पर जो पैसा लिया जाता है, उस पर वह पैसा खर्च नहीं किया जाता है।

यह जो बिल है, इस में जो रिहैबीलीटैशन और डवलपमेंट की बात कही गई है, माड्राइजेशन की बात कही गई है, मैं समझता हूं कि माड्रनाइजेशन के नामपर जो पैसा दिया जाएगा, उसको रिहैबीलीट्रशन के नाम पर वे लोग खर्च कर देंगे। हमारा जो रिहैबिलिट्रेशन का स्कोप है, वह ज्यादा विस्तृत है। माडरेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक एम है। माडरेनाइजेशन के लिए कितना पैसा खर्च होगा, रिहैबलिटेशन करने के नाम पर कितना पैसा खर्च होगा और रिसर्च और डवलपमेंट के लिए कितना पैसा खर्च होगा, मैं समझता हूं कि इन अलग अलग मदों के लिए बिल में स्पेसिफाई किया जाना चाहिए।

यह जो बिल नं० 157 का सी० है, उस में आपने शूगर फैक्ट्री का अर्थ बताया है। यह जो बिल नं० 156 का पैरा चार है, इम्पलीकेशन आफ फण्डस् में जो बात कही है :—

"for making loans for facilitating the rehabilitation and modernisation of any sugar factory or any unit thereof or the undertaking of any scheme for development of sugarcane in the area in which any sugar factory is situated."

इन दोनों में आपस में कंट्रोवर्सी है। मैं समझता हूं कि यह जो 156 का पैरा चार है, यह अस्पष्ट है। उसके बहुत सारे अर्थ लगाये जा सकते हैं। इस से इसके स्कोप के डाइवर्ट होने की गुंजाइश हो जाती है। कृपा कर के इसको आप देख लें।

जैसा हमारे और साथियों ने भी कहा कि पार्लियामेंट और देश की अधिकांश पोलिटिकल पार्टीज बराबर इस बात को कहती रही हैं कि शूगर इंडस्ट्रीज का नेशनेलाइजेशन होना चाहिए। हमारी पार्टी भी एक से अधिक बार इस बात को कह चुकी है और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से यह इंडस्ट्री बीमार है, जिस तरीके से इस इंडस्ट्री के मालिकान द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है, जिस तरह से सरकार के टेक्स की चोरी की जा रही है, उस में यह समय की मांग है, वक्त की आवश्यकता है कि हम इस इंडस्ट्री का नेशनेलाइजेशन करें, राष्ट्रीकरण करें, इसको पब्लिक सैक्टर में लायें ताकि इसका जो लाभ है वह आम आदमी को मिल सके।

इस समय जितनी आपकी प्राइवेट सैक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, उनके मालिकान से चीनी का हिसाब तो आप ले लेते हैं

[श्री हरीश रावत]

लेकिन उनका जो शीरा है, उसकी बिक्री की कोई अकाउटेबिलटी नहीं है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मालिकान उसकी बिक्री को इनकम में नहीं दिखाते हैं और उस से हुई इनकम को अन्यत्र खर्च करते हैं। आपको जो बैलेंस शीट दिखाते हैं उसमें वे उसे नहीं दिखाते और यह दिखाते हैं कि चीनी मिल नुकसान में जा रही है। उस पैसे का कोई हिसाब-किताब नहीं रहता है। दूसरी तरफ किसान की कठिनाई बराबर बनी रहती है।

इन चीनी मिलों से पर्यावरण संबंधी समस्यायें भी पैदा होती हैं। जितनी चीनी मिलें नदियों के किनारे पर हैं उनके वैस्ट मेटीरियल के आऊटलेट्स नदियों में हैं। उन पर आपका कोई कंट्रोल नही है वे आपके विभागों से मैनेज कर के इसको करते रहते हैं। इस पर भी आप का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। जगह जगह जो क्रशर लगे हैं वे भी वातावरण को दुषित कर देते हैं। कहां गन्ने को रखेंगे, कैसे गन्ने की पिराई करेंगे, कैसे उसके कचरे को जलायेंगे, उसके विषय में आपको कोई नियम नहीं है। इस तरफ भी आप ध्यान देने की कृपा करें।

उत्तर प्रदेश के अन्दर इस समय जो चीनी मिलें हैं, उन में गन्ना नहीं पिल पा रहा है। गन्ना खड़ा है और आप बराबर आश्वासन दे रहे हैं लेकिन आशंका है कि आखिर तक भी वह गन्ना सारा मिल जाएगा या नहीं। चीनी-मिलों को इस विषय में निश्चित निर्देश जाने चाहिए कि हर महीने इतने गन्ने की वे पिराई करें और ठीक से करें। इस में भी आपका स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रांत है। उसकी गन्ना उत्पादन क्षमता बहुत बड़ी है। जितनी उसकी गन्ना उत्पादन की क्षमता है, उसके हिसाब से आप आने वाले पांच सालों के लिए चीनी मिलों के डवलपमेंट के बारे में सोचिए। चाहे ये मिलें कोआप्रेटिव सैक्टर में डबलप कीजिए चाहे पब्लिक सैक्टर में डबलप कीजिए। लाइसेंस दीजिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आप से निवेदन किया है, उनको स्वीकार कीजिए और चीनी मिलों की स्थापना कराइये, ताकि उत्तर प्रदेश जो चीनी उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसका उपयोग हो सके। इस से राष्ट्र को भी लाभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपकी भावना का समर्थन करते हुए इन बिलों का समर्थन करता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला): माननीय सभापति जी, ये जो बिल पेश किए गए हैं "चीनी उप कर विधेयक" और "चीनी विकास कोश विधेयक" अगर इनके लिए यह कहा जाए कि चीनी कारखाना मालिकों की सुरक्षा के लिए और उनके पोषण के लिए ये विधेयक हैं और उन्हीं के नाम से इन विधेयकों को रखा जाता है तो अच्छा होता।

गन्ना उत्पादक के हित थे जो कुछ आज होना चाहिए, वह न हो कर के चीनी मिल मालिकों और बीमार कारखानों को संरक्षण दिया जा रहा है। कारखाने बीमार क्यों हैं, इसके बारे में अभी रावत जी ने बताया है। किस तरह से चोरी से चीनी दूसरे कारखानों में चली जाती है, किस तरह से किसानों का गन्ना चोरी करते हैं, केन्द्रों पर किस किस तरह से गन्ना तोला जाता है और जो फैक्ट्रियां आपरेटिव आधार पर चल रही हैं या सरकारी प्रशासन में चल रही हैं किस तरह से प्राइवेट गन्ना

गन्ना क्रशरों से मिल कर के आज भी 10–11 रुपये क्विंटल के भाव पर गन्ना बिकवा रहे हैं। बदायूं और बरेली में आज भी क्रशर मालिक 10–11 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना खरीद रहे हैं। आज भी हजारों किसान आन्दोलन कर रहे हैं। श्री मोहन सिंह राठौर जो कि किसान जिला यूनियन के नेता हैं, उनके साथ बहुत से लोग वहां पर सत्याग्रह कर रहे हैं। हाकिम सिंह और बाबू सिंह आज भी सत्याग्रह कर रहे हैं।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्रा): हाकिम होकर भी सत्याग्रह कर रहे हैं ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप : जैसे आपकी फर्जी सरकार चल रही है वैसे ही वे भी फर्जी हाकिम हैं।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आज किसानों को गन्ने में बहुत कम लाभ हो रहा है। 2–3 रुपए तो रवन्ना और चुंगी में चले जाते हैं। डीजल इतना मंहगा हो गया है, जिससे ढुलाई का खर्च भी बढ़ गया है। यह सब मिलाकर अगर 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना लिया जाता है तो तो किसान को केवल 5 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। यह उसका उत्पादन खर्च भी नहीं है। इस पर भी सरकार कहती है कि हम असहाय हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम प्राइवेट क्रशर मालिकों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। जब अधिकारियों से कहा गया तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। वहां के शेखपुर सहकारी किसान चीनी मिल के जो प्रशासक हैं वे प्राइवेट क्रशर मालिकों से मिले हुए हैं और पूरी कैपैसिटी से क्रशिंग नहीं होता है। चार साल पहले मिल बनी थी, मशीनें पुरानी नहीं हुई हैं, लेकिन हालत यह है कि जितनी मशीनें खरीदी गई थीं, सभी खराब हैं। उनको समय पर ठीक नहीं करवाया गया और किसान का गन्ना क्रशर पर जा रहा है। केन्द्रों पर गन्ने की तोल कम की जाती है। कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

कहा जाता है कि फैक्ट्रियां घाटे में चल रही हैं। घाटे में कैसे चलती हैं। लाखों का घाटा जा रहा है और उसके लिए आपका प्रशासन जिम्मेदार है। फैक्ट्री को उठा कर बन्द कर दिया है और कम कैपेसिटी पर चला रहे हैं। फैक्ट्री का घाटा कैसे होता है। शीरा बेचा जाता है कुछ हजार लीटर और गेट से निकलता है कई लाख लीटर। मिलों के मैनेजमेंट अपने रिश्ते-दारों को सस्ते में दे देते हैं और दूसरों को जो महंगे भाव पर लेना चाहते हैं नहीं देते हैं। अपने ठेकेदारों को अपने घर पर ही बुला कर दे देते हैं और दूसरे जो ज्यादा पैसा आफर करते हैं उनको नहीं देते हैं। आपकी सरकार सुनती नहीं है, आप सुनते नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि किसान की पहले आप सुरक्षा की व्यवस्था करें जो बेचारा गन्ना पैदा करता है। आपने तो उसके हाथ में खोई ही दे रखी है। किसान को गन्ने का मूल्य मिलना चाहिए चालीस रुपया प्रति क्विंटल लेकिन आप उतना भी नहीं देते हैं जितना आप दे रहे हैं। उतना तो उसको मिल जाना चाहिये और उतना तो उसको दिलाने की व्यवस्था कर दी जानी चाहिये। क्रय केन्द्रों पर आपके अधिकारी तेरह रुपये क्विंटल के हिसाब से ले लेते हैं और जो नहीं देना चाहता है उनकी चार चार दिन तक लाइन लगवाई जाती है और उनको खड़े रखा जाता है। बैलगाड़ी खुले आकाश में खड़ी रहे, बैल खुले आकाश में खड़े रहें, ओला, बरसात पानी में खड़े रहें, उनका चार-चार दिन तक गन्ना नहीं तोला जाता है। उनको कहा जाता है कि तेरह रुपये में तोलना हो तो तोल दो वर्ना लाइन में खड़े रहो। फर्जी पर्चियां बना कर उनको दे दी जाती हैं और ऊंची कीमत ले ली जाती है। किसान

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

को तेरह रुपये ही देते हैं। किसानों ने जिलाधीश को कहा कि हम पकड़वाते हैं लेकिन जिलाधीश कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बदायूं, बरेली इत्यादि में जा कर आप देख लें क्या धांधलियां हो रही हैं। आप में साहस नहीं है कि इसकी आप उच्चस्तरीय जांच करवा सकें। वहां के अधिकारियों से ही आप कराते हैं। चोर-चोर मौसेरे भाई वाली यह बात होती है। वे सारी बातों को छिपा कर रख लेते हैं। म मांग करता हूं कि सही मूल्य किसान को दिलाया जाना चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कारखानों को गन्ना किसान को आप दे देवें और वह चला लेगा। सारी की सारी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दें, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। गन्ने को आज राजनीति में घसीटा जाता है। देश की राजनीति गन्ने के बल पर चलाने की कोशिश की जाती है। माननीय डागा जी ने कहा कि राजनीति का उस तरह से प्रयोग किया जा रहा है। यह ठीक बात है। गन्ना मिल मालिकों को डराया जाएगा, उनसे पैसा वसूल किया जाएगा तो किसानों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

आप फंड बना रहे हैं। इससे एक नयी परम्परा पड़ जाएगी। जो कारखाने सही काम कर रहे हैं, ठीक तरह से चल रहे हैं वे भी कहेंगे कि पैसा लेना है, लिहाजा कारखाने को बीमार करो। अब तक तो फर्जी बीमारी के सर्टिफिकेट बना करते थे अब ये कारखाने भी यही काम करने लगेंगे। ये नुकसान दिखाना शुरू कर देंगे। इस वास्ते मैं मांग करता हूं कि चीनी उद्योग का आप राष्ट्रीयकरण करें। साथ ही ऐसी शक्तिशाली कमेटी बनाएं जो जगह-जगह जा कर जांच पड़ताल कर सके जहां भ्रष्टाचार हो रहा है। गन्ना खड़ा है फिर इसको क्यों नही पैरा जा रहा है, इसकी जांच कर सके। किसान कहां उस गन्ने को ले जाएगा? उसे दूसरी फसल बोनी है। ट्रांसपोर्ट और तुलाई आदि में धांधली की जाती है। ऐसा काम आप करें ताकि किसान का हित हो सके, गन्ना किसान बेच सके, उसका हित हो सके।

आप रुग्ण मिलों के पीछे लगे हुये हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसान ज्यादा रुग्ण है। सही मूल्य की बात कौन कहे? उस को तो मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता है। यही हालत रही तो उत्तर प्रदेश और बिहार का किसान बहुत जल्दी आन्दोलन छेड़ देगा और आप उसको रोक नहीं सकेंगे।

बेचारे किसान का गन्ने का पैसा पांच-पांच साल से बकाया पड़ा हुआ है, वह उसको मिल नहीं रहा है। यह कहा जाता है कि हम हिसाब बना रहे हैं। वह पैसा कहा चला गया है। यह ठीक नहीं है। उनको बकाया राशि का भुगतान होना चाहिये।

गन्ना किसान जो इतना पैसा टेक्सों का देता है और इतना ज्यादा आपको उससे लाभ होता है और जहां अच्छी गन्ने की फसल होती है वहां उन गन्ना किसानों के लिये ट्यूबवैल्स, नलकूप बनाने में वरीयता दी जानी चाहिये। आज उसकी खुली लूट हो रही है। जब टेंडर होता है, जब पर्चियां पड़ती है, तो उसमें भी बहुत धांधली होती है। ट्रक वालों की, ट्राली वालों की पड़ जाती है और बल गाड़ी वालों को नहीं पड़ती है। बैल गाड़ी वालों को कहा जाता है कि आज तुलाई नहीं होगी। कल भी नहीं होगी। जब वे कारण पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि कम पेर रहे हैं....

सभापति महोदय : ठोस सुझाव दें।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : जो हालत चल रही है उससे ज्यादा दुखदायी स्थिति

किसान की ओर कोई नहीं हो सकती है। आपको चाहिये कि जो तोलने की मशीनें है उनकी आप फौरन जाच करवायें। जो इंजीनियर वगैरह आपके लगे हुये हैं, उन पर आप खास तौर से नजर रखें। नब्बे प्रतिशत तोल की मशीनों में गड़बड़ी है। और किसानों की जेब काटी जाती है। क्रशर मालिकों के ऊपर आप कीमत तय करें। अभी मनमाने ढंग से वह कम पैसा देते हैं। क्या आपने प्राइवेट क्रशर्स मालिकों पर कोई पाबन्दी लगायी है ताकि किसानों का शोषण न कर सकें? किसानों का गन्ना 10 या 12 रु० क्विंटल न खरीद सकें? जहां-जहां किसानों की शिकायतें चल रही हैं, चाहे सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से, मैं चाहूंगा कि तुरन्त सरकार की ओर से उनकी जांच की जाये और जहां लाखों रुपये की धांधली है, जैसे शेखूपुर, शुगर मिल्स, वहां सी० बी० आई० से आप जांच करा कर संबंधित लोगों को दंडित करें। इतना ही कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और इस बिल का विरोध करता हूं।

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Sir, so far as the objective of the Bill is concerned, it is commendable.

MR. CHAIRMAN: You started at 4.20.

(*Interruptions*).

SHRI CHITTA BASU: He says that I have to complete by 4.20.

MR. CHAIRMAN: No, no. I said you started at 4.20.

SHRI CHITTA BASU: I started at 4.20, but I am not a '420'.

Sir, the Bill provides for a four-fold objective. It is to rehabilitate the sugar mills, to modernise them, to encourage research and also encourage development of sugarcane. So far as this four-fold objective is concerned, I think nobody in the House will have a different opinion other than the opinion held by the hon. Minister.

SHRI D. P. YADAV (Monghyr): We support it.

SHRI CHITTA BASU: But the question is: Does this Bill provide really for an instrument to achieve this purpose? If that question is posed—I am sorry, of course we are dealing with 'swet' subject, that is, sugar, but my reply is bitter and bitter not only in words, but in content also. I do not like to dilate much on the subject because it is all quite known to the hon. Minister—what is caled the basic reason for the sickness of the sugar industry.

Sugar industry is one of the oldest industries in our country. It is an agro-based industry and the people of our country want that this industry should further prosper. With its prosperity is linked the prosperity of the vast peasant masses of our country and other sections of our society. The whole thing is and I say it with all emphasis at my command, that the hon. Minister has concealed the basic fact which led to the sickness of the industry, that is, the mismanagement and malpractices indulged in by the sugar mill owners. A sugar mill gets sick, but never does a sugar mill owner becomes poor. The more the sickness of the mill the larger the wealth accumulated with the sugar mill owner. Here is the paradox. The reason is that they have not taken interest in the modernisation of the industry and in introducing new technological innovations. Rather they have earned by illegal, visible or invisible, means in other areas of industry. This is what is called in our economic terminology, 'siphoning off capital'...

PROF. N. G. RANGA: And waste it on luxuries.

SHRI CHITTA BASU: ..and waste it by luxurious spending, and also sometimes—Prof. Ranga, you are a veteren, you knows it—by giving a fairly fat donation to your Party to run the elec-

[Shri Chitta Basu]

tion. As a matter of fact sugar industry is one of the industries which produces black money. It does not only produce sugar but also produces black money. By producing black money it produces corruption. By producing corruption the entire social fabric of our life is being exposed to un-precedented corruption at the place of authority. (*Interruptions*).

Do not provoke me to say all those things.

The basic problem remains—how can you prevent this sephoning of capital? How can you prevent this kind of malpractice and mismanagement of the sugar mill owners?

I want modernisation. Eveybody wants that. With modernisation we can increase sugar production of our country. With this modernisation we can have cheaper sugar for the consumer. With modernisation we can also have export promotion and with export promotion our national economy can be further strengthened. Therefore, it is not merely a simple question of imposing certain cess, collecting money and distributing the money. Each is linked with the vital aspect of the economy of our country. f you have wider economic interest of the country in view, my humble submission to you and particularly to the Members of Congress (I) is that they should suport that nationalisation is the only way out. I can only just cite...

MR. CHAIRMAN: I had been expecting that you would speak on the various facets of modernisation—of course, out of baggasse you can produce paper, and out of molasses you can produce alcohol. All these ideas are there in the Gundurao Committee Report.

SHRI CHITTA BASU: The Bill on the other hand provides further incentives for the sugar mill owners to earn more money on this pretext and that pretext while the necessity is to see that modernisation is carried on under the auspices of the Government. Government wants to give more to those wicked mill owners so as to create more black money and indulge in mismanagement.

The development of sugar cane is one aspect. With the development of the sugar cane the fate of the growers is also linked. What is the fate of the growers? They are not getting a remunerative price. On many occasions I explained it and I do not take more time of the House to explain it now.

The decision taken by the Government is paradoxical. One is a statutory minimum price fixed by the APC—Agricultural Prices Commission. Again the hon. Minister for Agriculture comes and says—"there should be advised price, as advised by the Prime Minister." Therefore, there is one set of price for the growers which is called a statutory minimum price fixed by the A.P.C. There is another set of price which is called the advised price as advised by the Prime Minister. Under the advised price category U.P. gets Rs. 21.50, Bihar gets Rs. 20.00 Maharashtra I do not know. Probably it is round about Rs. 20 or 21.00. What is the fun in it? You fixed Rs. 13.00 per quintal as APC's price and then you want the State Governments to fix advised price. That advised price does not go at the advice of the single source. Sir, advised prices are multi-pronged and therefore, the peasants do not know what is the actual fate awaiting for them. Therefore, the Government should make this position clear. There is no nexus between the stautory prices and the advised prices. There should be one set of prices which is beneficial, fair and remunerative to the growers of our country. There should not be any other price scale. And that price should be made available to the agriculturists and it should be ensured that they get it.

RAO BIRENDRA SINGH: You want to help the factories!

SHRI CHITTA BASU: Coming to the sugarcane production, it is very much connected with this. You know, this

year, the sugarcane production has touched all-time high of 180 million tonnes in 1981-82. Some of my friends, I think Mr. Rawat mentioned that in certain parts of Uttar Pradesh where I had been recently, the peasants could not sell their sugarcane. Therefore, there is over-production or surplus production. May I know from the hon. Minister whether it is known to him that many of the sugar mills have already closed the crushing? They have already closed the crushing or about to close down the crushing in many parts.

AN HON. MEMBER: No.

SHRI CHITTA BASU: All right. If it is not closed, it is all the more good. But they are going to stop crushing within a very short time. You tell them, guide them and direct them that all the sugarcane should be consumed and before that crushing should not be stopped. But if you assure them...

RAO BIRENDRA SINGH: Don't worry.

SHRI CHITTA BASU: That is alright. Stand up and say. And also please say are you going to give them certain further concessions for the continuance of crushing?

RAO BIRENDRA SINGH: Of course.

SHRI CHITTA BASU: Now the cat is out of the bag. While you propose that the crushing will continue and sugarcane will be taken by the mills, you say for them they should be given further extra relief or further concessions. Sir, there is another concession which is being given to the sugarcane mill owners. Therefore, that would lead to further increase in price and that would lead to further increase to the miseries of the consumers. That is not beneficial to the growers.

RAO BIRENDRA SINGH: You want them to close down?

SHRI CHITTA BASU: I do want that they should continue crushing and the growers should get the remunerative prices. I also want that the sugarcane mill owners should not get extra benefit because it is not the mercy that they are doing. It is the industry. It is not at their mercy; we are not at their mercy. You may be at their mercy. But we on this side are not at the mercy of the sugar mill owners.

RAO BIRENDRA SINGH: Because you have no responsibility.

SHRI CHITTA BASU: Last point. I do not like to take much of the time. Now the Government says that the sugar production is very comfortable. (*Interruptions*).

For the current year, the total sugarcane production is something of the order of 67 to 68 lakh tonnes. The carry over figure of the last year is something like that of 9.94 lakh tonnes or 10 lakh tonnes. The total availability of sugar today in the country is something of the order of 76.94 or 77 lakh tonnes. The consumption figure is something like 57 lakh tonnes. There is a surplus of 20 lakh tonnes. Inspite of a greater amount of the availability of sugar, why does the sugar price not come down? May I suggest that the Government should take a policy decision to increase the proportion of the levy sugar so that prices can be brought down. While there is adequate stock in our country, for about 20 lakh tonnes, and now we are in surplus, the Government proposes to have a bufferstock. I welcome this measure. What is the method of building up the buffer stock? At what price? How will they purchase? Would the Government make the position clear as to whether they want to have a buffer stock of 6 lakh tonnes and, if they have decided to have a buffer stock of 6 lakh tonnes, what is the modality of procuring it, what will the price for it and at what price they will sell it to the consumer?

Coming to the last point....

MR. CHAIRMAN: The last point should be a juicy point. We are discussing sugar.

SHRI CHITTA BASU: It is a very juicy point; very sweet but it will be bitter to him. I want to make it sweet

[Shri Chitta Basu]

but it may taste bitter to him because it is truth.

Now, the Government proposes to export sugar. The International Sugar Organisation has agreed to give India a special quota. It is reported that the Commerce Ministry—my hon. friend the Commerce Minister is there—have undertaken a study regarding the possibility and the potential of sugar export. They have tentatively come to a decision that 6 lakh tonnes of sugar of this year can be exported to foreign countries. What is the price of sugar for export? What price are they bringing by exporting sugar? The international price of sugar today ranges between Rs. 3,300 to Rs. 3.400 per tonne whereas the home market price is something like Rs. 5,100 per tonne. The Commerce Ministry has come to this conclusion that by exporting 1 tonne of sugar, we are going to involve a subsidy of Rs. 1,700. Is it sweet or is it bitter? I leave it to him. By exporting 6 lakh tonnes of sugar from our country, we will have to lose by way of subsidy a total amount of Rs. 85 crores. This is what has been calculated by the Commerce Ministry. I think, it is not very sweet. It is very bitter because our consumers have to pay more for sugar in this country which we produce and which is produced at the cost of the toil and soil of the growers of the country. And we are going to export it at a subsidy of Rs. 1700 per tonne. Therefore, it is not a sweet one; it is a bitter one.

I hope, the Government would understand that this is a very dangerous and a disastrous policy that they are likely to follow. Their policy should be to see that sugar units are rehabilitated properly and modernised effectively. They should involve the growers' support by way of spending more for the development of sugarcane and also by way of giving satisfaction to the vast masses of our peasantry. That alone will help the Government to survive. Otherwise, they will fail.

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : माननीय चेयरमैन, साहब, बहुत से साथियों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई, इस विधायक के ऊपर।

एक माननीय सदस्य : विधेयक के ऊपर।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं हिन्दी नहीं बोल सकता हूं, आज पहली बार हिन्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आहिस्ता आहिस्ता आप से सीख लूंगा।

बहुत से साथियों ने हमारी जानिब से बहस में हिस्सा लिया, वे माननीय मेम्बर ऐसे हैं जिन का ताल्लुक शुगर इंडस्ट्री से है, वे खुद फार्मर्स हैं, जैसे प्रो० रंगा, विखे पाटिल साहब, हमारी बहन श्रीमती कृष्णा साही, जमीलुर्रहमान साहब, हरीश रावत, जी—इन सब साहबान ने जो बातें कहीं वे इनके अनुभव की हैं। अब जहां तक डागा साहब का ताल्लुक है—वह वकील हैं, तनकी निकालना उनका रात दिन का काम है। वह कोई भी मुकद्दमा हो उसमें कुछ न कुछ ईशूज ढूंढ लेते हैं। डागा साहब ने जो बातें कहीं हैं मैं उनकी आशंका को दूर कर दूंगा, उनको शायद कुछ गलतफहमी हो गई है . . .

सभापति महोदय : अक्सर होती है।

एक माननीय सदस्य : बहुत सीधे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं कब कह रहा हूं कि सीधे साधे नहीं हैं। देखने में बड़े भोले भाले हैं। बहुत से मेम्बर्स ने उधर से भी अपनी राय जाहिर की है। चित्त बसु

साहब ने तो अपना मुंह आप ही कड़वा कर लिया, इस में हमारा कोई कसूर नहीं है। सुधीर गिरि साहब सब से पहले बोले थे, प्रो० अजीत मेहता साहब, मुरगैयन साहब बोले, कश्यप साहब बोले, बहुत से लोगों ने अपोजीशन से हिस्सा लिया लेकिन उन सब से एक बात यह निकली कि हमारा मकसद बहुत अच्छा है। लेकिन उन सबने एक शंका जाहिर की कि उस मकसद को हम पूरा नहीं कर पायेंगे ....

श्री चित्त बसु : करना भी नहीं चाहते हैं।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Election manifesto is very clear.

राव बीरेन्द्र सिंह: इसमें इनकी तसल्ली नहीं है, इतमिनान नहीं है, इनको शक है कि हम पूरा नहीं कर पायेंगे। असल में वे सरकार की काबलियत को अपने से नापते हैं जो मकसद हमने अपने सामने रखा है, हम जानते हैं उस को कैसे पूरा करना है। आप ने जो सुझाव दिये हैं उन पर हमारा ध्यान है, ये सारी बातें पहले से हमारी निगाह में आ चुकी है और आज जो खदशात और खतरे आपने बतायें हैं हम उनसे बे-बेहरा नहीं हैं, उनके इलाज भी हमारे पास हैं। जिस चीज़ को लेकर आज हम **आप** सामने आये हैं, उसकी जरूरत थी यह तो आप ने माना है। शुगर इंडस्ट्री हमारे देश की बहुत अहम इंडस्ट्री है। किसानों का भविष्य और खुशहाली इस के ऊपर निर्भर है—यह भी सबको मालूम है और इस वक्त सबसे बड़ी एग्रो इंडस्ट्री अगर देश की गिनी जाय तो पहले नम्बर पर शुगर इंडस्ट्री है, उसके बाद टैक्सटाइल का नम्बर आता है, बाकी इंडस्ट्रीज में किसान का इतना माल नहीं खपता है। नेशनेलाइजेशन की बात की जाती है कुछ पार्टियां ऐसी हैं, जिनको ख्वाब में भी वही नजर आता है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप की पार्टी वाले भी यह चाहते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : अपनी पार्टी वालों को हम समझाएंगे हैं, तो वे समझ जायेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : बिहार विधान सभा और उत्तर प्रदेश की विधान सभा के एक मत से प्रस्ताव पास किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : कांग्रेस पार्टी ने भी राष्ट्रीयकरण के लिये प्रस्ताव पास किया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं इसको मानता हूं। हम उस चीज की तरफ जा रहे हैं। श्री चन्द्र जीत यादव को याद होगा कि वे पहले किस पार्टी में थे।

श्री चन्द्र जीत यादव : कांग्रस पार्टी का रेजोलूशन है।

श्री रामावतार शास्त्री : आपकी पार्टी के अन्दर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो इस को चाहते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं बार बार बतला चुका हूं कि जहां तक शुगर इंडस्ट्री का ताल्लुक है, यह करीब करीब ऐसी ही है जैसे नेशनेलाइज हो गई हो। 56 फीसदी शूगर आज कोआपरेटिव शुगर फैक्टिरियों में पैदा होती है। आयन्दा के लिये हमने तय किया है कि हम इस को तरजीह देंगे। कोआपरेटिव शूगर मिल्स को लाइसेंस के बारे में तरजीह दी जायगी। साथ ही आज भी 50 पर सेंट से ज्यादा ऐसी कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज हैं, जिनके एक्सपेंशन के लिये हमने प्रोवाइड किया है, शूगर इंडस्ट्री के लिये अभी हमने गुंजाइश रखी है लेकिन उसमें भी जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा हमने यह तय किया है कि अगर रूरल डेवलपमेंट में कोई प्राइवेट इंडस्ट्री शुगर की, खास

[श्री राव बीरेन्द्र सिंह]

दिलचस्पी नहीं लेती है, तो हम उसके एक्स-पेंशन को जल्दी से मंजूर नहीं करेंगे क्योंकि हम यह चाहते हैं कि गांवों का नक्शा बदले। शूगर इंडस्ट्री के डेवलमेंट के साथ साथ गांवों में सड़कें बनें और गांवों के अन्दर भी और सहूलियतें महय्या हों और किसानों को अच्छे भाव मिले। इससे उनकी हालत अपने आप बेहतर होगी। वहां पर एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स खुलेंगी, अस्पताल खुलेंगे। बहुत सी शूगर फैक्टरीज ने तो यह शुरू भी कर दिया है और खास तौर पर काम्रापरेटिव सेक्टर में शूगर फैक्टरीज ने यह किया है मैंने महाराष्ट्र में जाकर देखा और श्री विखे पाटिल के साथ मैं गया और मैंने देखा कि वहां पर उन्होंने कालेज खोले हुए हैं, अस्पताल खोले हुए हैं और दूसरे ऐसे काम किये हैं। इसी तरीके से हम प्राइवेट से भी उम्मीद कर सकते हैं।

इसके अलावा जो इंडस्ट्री बीमार होती हैं, जो मिल सिक होता है, उस को सरकार ने अपने हाथ में लेने के लिये कानून बना रखते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलमेंट एक्ट के तहत भी हम उन को ले सकते हैं और हमारा शूगर **इंडस्ट्री टेक-ओवर आफ मैनेजमेंट एक्ट** भी है, जिसके तहत हमने 8 फैक्टिरियां ली हुई हैं। यह भी आप जानते हैं कि तीन साल की अवधि उनको अपने हाथ में रखने के लिए रखी है लेकिन तीन साल पूरा होने के बाद हमने उनको वापस नहीं किया। हमने तीन साल की मियाद और बढ़ा दी है। अब यह पालिसी करीब-करीब वैसी ही है जैसी आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री को खुली छूट न दी जाय। आप मांग करते हैं कि क्रशिंग देर तक होनी चाहिये और कोई गन्ना खेतों में बाकी न रहे। उस के लिये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम फैक्टरीज को चलवा सकते हैं। आप लोगों ने मालूम नहीं कहां से इत्तिला हासिल कर ली कि बहुत सी फैक्टरीज बन्द हो गई हैं। चित्त बसु साहब ने इस बारे में कहा। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल इस वक्त 200 कुछ फैक्टरीज चल रही थीं। 323 के करीब उनकी तादाद थी। मेरी इत्तिला के मुताबिक 323 में से कोई 315 फैक्टरीज अभी चल रही है और धड़ाधड़ गन्ना पेरा जा रहा है लेकिन गन्ना मई के आखीर तक या जून के कुछ अर्से में अगर कुछ गन्ना पेरना पड़ा, तो उस वक्त तक कुछ गन्ना सूख सकता है और रिकवरी कम हो जायेगी। उसके लिये हमें फैक्टरीज को कुछ इंसेंटिव देना पड़ता है और उसके लिए हम सोच रहे हैं। क्रशिंग के लिये इंसेंटिव देने की बात कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी यह किया था और हमारी इस नीति की बजह से यह हुआ है कि 38 लाख टन की पैदावार जहां आप ने छोड़ी थी, आज हम 70 लाख टन तक ले जाने में कामयाब हुये हैं और यह हमारी शूगर पालिसी की वजह से हुआ है।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : जब प्रोडक्शन कम था, तो लोगों को चीनी सस्ते दामों में मिली।

राव बीरेन्द्र सिंह : तभी पटरा कर दिया था आप की सरकार ने। हमारी पालिसी को बदल दिया था और चीनी का डी-कंट्रोल कर दिया था लेकिन फिर वापस आ गये थे वहीं पर, जो हमने किया था। उस चीज को क्यों अपनाया, यह सारी चीज समझ से ताल्लुक रखती है। बैलेंस पालिसी को भी रखना पड़ता है और बैलेंस दिमाग को भी रखना पड़ता है।... (व्यवधान)... खाली बात करने से काम नहीं बनता। हम ने करके दिखाया है।

चेयरमैन साहब, एक एतराज यह भी किया गया कि दो बिल क्यों लाये? एक बिल तो मनी बिल है पैसा वसूल करने के लिये और दूसरा बिल है, उसको खर्च करने के लिये, एप्रोप्रियेशन के लिये और स्पीकर साहब की इस बारे में रूलिंग है इस हाउस के अन्दर।

और इस तरह के बिल अलग अलग लाने चाहिये । स्पीकर साहब की रूलिंग का एहतराम करते हुये सरकार ये बिल अलग अलग लायी है । अब हम आपका एतराज कैसे मान लें ? जब हाउस में यह रूलिंग दी जा चुकी है तो फिर हम कैसे एक बिल लाते । वरना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी ।

कुछ सवाल डागा साहब ने खड़े कर दिये कि इस पर पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, उसका कंट्रोल कम किया जा रहा है, अफसर पालिसी बनायेंगे और चलायेंगे । मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने यह बात कहां से निकाल ली । मैं डागा साहब को बताना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में पालिसी सरकार की चलती है, पालिसी हम बनायेंगे, पालिसी बिल में नहीं हुआ करती है । यह डेमोक्रेसी का तरीका है कि पालिसी पोलिटिशियंस तय करते हैं । पालिसी सरकार की होती है और अफसर उसे चलाते हैं ।

श्री मूल चन्द डागा : पालिसी संसद बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट सरकार करती है ।

राव विरेन्द्र सिंह : पालिसी गाईड लाइंस बिल में नहीं लायी जाती है । सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह जो रूल बनाये उसको पार्लियामेंट के सामने पेश करे । वे पेश होंगे ।

PROF. N. G. RANGA: He cannot give all the details in the Bill. That will come in the Rules and they will be placed on the Table of the House.

राव वीरेन्द्र सिंह : अगर आप चाहें तो उन रूल्स में तबदीली कर सकते हैं । पालियामेंट चाहे तो रूल्स तबदील कर सकती है ।

PROF. N. G. RANGA: There is a Committee of the House.

SHRI MOOL CHAND DAGA: The rules must be laid on the Table of the House.

PROF. N. G. RANGA: It is provided in the Bill.

राव वीरेन्द्र सिंह : दूसरी बात आपने कही कि अकांउंटेट जेनरल द्वारा आडिट होना चाहिये और पार्लियामेंट के सामने हिसाब आना चाहिये । जब यह पैसा सरकार वसूल कर रही है तो वह कंसोलिडेटिड फंड में जाएगा और जो भी पैसा कंसोलिडेटिड फंड से एप्रोप्रियेट किया जाता है उसके लिये पार्लियामेंट से इजाजत लेनी पड़ती है । जिस तरह से और पैसे के एप्रोप्रियेशन के लिये फाइनेंस बिल में व्यवस्था की जाती है उसी तरह से इसकी भी व्यवस्था होगी । सरकार के और रुपये का जैसे हिसाब-किताब होता है, वैसे ही इस तरह रुपये का भी होगा । जैसे पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंटस कमेटी और हिसाब-किताब को देखती है, वैसे ही इसका भी देखेगी । फिर यह कैसे समझ लिया गया कि पार्लियामेंट को बताया हो नहीं जायेगा ।

SHRI MOOL CHAND DAGA: You kindly try to understand.

राव वीरेन्द्र सिंह : जब से आपने बातें कहीं हैं तब से मैं सोच ही रहा हूं । मैं सारे आनरेबल मेम्बर्स की अलग अलग बातों का जवाब नहीं देना चाहूंगा क्योंकि काफी वक्त पहले ही ले लिया गया है । लेकिन जो मोटी-मोटी बातें कही गयी हैं, उनमें बहुत-सी बातें तो कामन हैं । कुछ हमारे आनरेबल मेम्बर समझे नहीं हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा । कुछ समझते हैं ।

सभापति महोदय : कुछ ऐसे भी हैं जो समझ कर भी नहीं समझते ।

राव वीरेन्द्र सिंह : अभी चित्त बसु साहब कह रहे थे कि शूगर टेस्टलेस है, उसमें कोई

[राव बीरेन्द्र सिंह]

सुगन्ध नहीं है। अब जिनकी सूंघने की और टेस्ट करने की शक्ति जाती रहे तो उसके साथ तो मेरी हमदर्दी है ।

SHRI CHITTA BASU: What I was telling is that the sugar supplied is tasteless, odourless and bogus.

MR. CHAIRMAN: But humour is sweeter.

SHRI CHITTA BASU: Sugar is generally sweet but the whole trouble is that the sugar supplied is bitter.

राव बीरेन्द्र सिंह : कुछ आनरेबल मेम्बर्स ने कहा कि यह पैसा जो वसूल किया जाये उसका पूरा का पूरा फायदा शूगरकेन ग्रोअर्स को पहुंचना चाहिये, मिलों में काम करने वाले वर्कर्स को पहुंचना चाहिये । जो एरियर्स बकाया है उनके भुगतान पर खर्च होना चाहिये, वर्कर्स को तनख्वाहें वक्त पर मिलें, इस पर खर्च होना चाहिये । शूगरकेन की रिसर्च और डवलपमेंट पर खर्च होना चाहिये । मशीनरी अच्छी लगाई जायें और जो शूगर से दूसरे बाई प्रोडक्टस बनते हैं उनको भी पूरे तरीके से इस्तेमाल करने के लिये रिसर्च किया जाये । ये सारी बातें हमने अपने आब्जेक्टस में रखी हैं। जब तक शूगर फेक्टरी अच्छी नहीं चलेगी, उनका प्राफिट ठीक नहीं होगा, उस वक्त तक ज्यादा केन क्रेश नहीं हो सकता, क्रेशिंग कैपेसिटी ज्यादा नही हो सकती । कैपेसिटी पूरी तरह से यूटिलाइज होगी तो किसान को फायदा पहुंचेगा । फैक्टरी का हिसाब किताब अच्छा होगा तो किसान को फायदा पहुंचेगा, उसको ज्यादा कीमत दी जा सकेगी। सिक मिल किसान को ज्यादा पैसा नहीं दे सकती ।

ये सारी चीजे आपस में जुड़ी हुई हैं । इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता । अल्टीमेटली कंज्यूमर को फायदा पहुंचेगा, फार्मर को फायदा पहुंचेगा । जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपने आप शूगर केन की कीमत ज्यादा मिलेगी । इस तरह से इन बातों पर आपको शक नहीं करना चाहिये ।

कुछ सम्मानीय सदस्यों ने शक जाहिर किया है कि जो पैसा सरकार वसूल करेगी, जरूरी नहीं है कि इस पैसे को इसी परपज के लिये खर्च किया जाये । बिल के अन्दर साफ तौर पर यह रखा गया है, यह इशारा है इस बिल के अन्दर कि जो पैसा कंसालिडेटेड फंड में जायेगा उसके एप्रोप्रिएशन की इजाजत पार्लियामेंट देगी और इसके बाद इसे खर्च किया जाएगा । इस बात का आप को विश्वास होना चाहिये कि यह पैसा उसी काम के लिये खर्च किया जाएगा, जिस काम के लिये जमा किया जा रहा है । इसके अन्दर कोई दिक्कत है नहीं होगी और इस बात की खास एहतियात रखी जायेगी । दूसरी इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, उनके कानूनों में क्या है, इससे अंदाजा न लगायें । बिल आपके सामने है, आप गौर से इसको पढ़ें तो आपको तसल्ली हो जाएगी ।

एरियर्स बहुत बढ़ रहे हैं । जब डिस-कशन हुआ तो सुगर पालिसी की सारी बातें हाउस में कही गई और आनरेबल मेम्बर्स का हक था । कुछ बातें हमको पता लगीं, जिनकी हम जांच करेंगे । कुछ बातें ऐसी हैं, जिनकी सफाई हम कर सकते हैं । जिस वक्त सुगर सीजन शुरू हुआ तो आपको जानकर खुशी होगी कि एरियर्स सिर्फ एक फीसदी बाकी था । इतना कम एरियर्स कभी नहीं रहा । अब सीजन चल रहा है, सुगर केन काफी क्रेश हो रहा है और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब के मुताबिक उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से एसिसटेंस मिलती है वह इतनी काफी नहीं है कि साथ साथ निपटारा किया जा सके । इसके बारे में हमने पिछली बार भी जिक्र किया था । फाइनेंस मिनिस्टर साहब को नोटिस में भी बात है । हम विचार कर रहे हैं कि बेंकों

से उनको और ज्यादा पैसा दिया जा सके ताकि वे साथ साथ एरियर्स दे सकें। इस तरह से हमारी कोशिश है कि एरियर्स न बढ़ने दिया जाये। जो मिलें एरियर साफ नहीं करती हैं, उनके लिये हमारे पास तरीका मौजूद है। आपने खुद बताया है कि नोटिस दे दिये गये हैं। अगर वे मिलें भुगतान नहीं करती हैं तो उनको टेकओवर किया जाता है। आपने बार बार शक जाहिर किया है कि इससे पूंजीपति की सहायता होती है, एरियर्स का भुगतान हो जाता है और मिल फिर उनको वापिस दे दी जाती है। कहां हमने वापिस की हैं। अभी तो 3 साल के लिये फिर रख ली हैं और यह भी कह दिया है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यह न समझें कि अगर मिल बीमार हो जाएगी तो सरकार उसको तन्दुरुस्त करके फिर जल्दी से वापिस कर देगी। सरकार मेहनत करेगी, उसकी देखभाल करेगी, उसकी नर्सिंग करेंगी तो सरकार उसको अपने पास ही रखना चाहेगी। जल्दी से उनके हाथ में वापिस नहीं देना चाहेगी। तो यही तरीका है।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: You can simply nationalise them.

राव बीरेन्द्र सिंह: नेशनालाइजेशन की पालिसी के बारे में बार-बार इस हाऊस में बताया जा चुका है कि हम दोनों चीजों को साथ-साथ रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा। प्राइवेट सैक्टर को हम बिल्कुल अलग नहीं करना चाहते हैं। अगर हम सी पी एम की पालिसी के ऊपर चलने लगे तो आपकी पार्टी और हमारी पार्टी में क्या फर्क हुआ?

17 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती: बहुत है।

राव बीरेन्द्र सिंह: हम इसको रखना चाहते हैं।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: It is true that your policy is to use the efficiency of the private sector and also increase the efficiency of the public sector but where the private sector has failed to prove its efficiency and where you have to take it over because it is sick then why do you return them? Why don't you nationalise them?

राव बीरेन्द्र सिंह: बहुत सी इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन दिन ब दिन होता है। आपको यह भी मालूम है। शूगर में ही नहीं दूसरी इंडस्ट्रीज में भी यह होता है। काफी मिलों को हम ले चुके हैं। सिक मिलों का हमने नेशनलाइजेशन किया है। जहां तक शूगर मिल्स का नेशनलाइजेशन करने की बात चली है। कुछ का कर लिया गया है। सारी इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन इकट्ठा हम नहीं कर रहे हैं। इसका मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। जहां जरूरत होगी और पब्लिक इंटरेस्ट में होगी, वहां मिलों का नेशनलाइजेशन कर लिया जायेगा। जहां ठीक काम चल रहा है, फार्मर्स की मदद हो रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है वहां हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Sir, it seems the Minister refuses to understand what I am saying. I am only saying that the sick industry which you are nursing why don't you nationalise it. (*Interruptions*)

राव बीरेन्द्र सिंह: कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि खंडसारी के ऊपर भी सैस होना चाहिये। मैं मुख्तसिर में इतना ही कह सकता हूं कि यह स्टेट सैक्टर में आती है। खंडसारी डवलपमेंट के लिये सैस लगाया जाय या और कोई इकदामात किये जायें यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है और इस में सैंट्रल गवर्नमेंट दखल देना नहीं चाहती है।

[राव बीरेन्द्र सिंह]

यहां यह भी कहा गया है कि गुड़ और खंडसारी वाले गन्ने की कम कीमत दे रहे हैं। इसका हमें एहसास है। पिछली बार भी हाउस में बात हुई थी। स्पीकर साहब ने भी कुछ आवजवशंज किये थे। मैंने माना था कि गुड़ की कीमत भी ज्यादा नहीं गिरने दी जानी चाहिये। इसके लिये भी हम सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कुछ गुड़ का एक्सपोर्ट भी किया जायें। अगर हो सके तो। दूसरे तरीके भी हम सोचेंगे। गुड़ ऐसी चीज है जिस को हम रख नहीं सकते हैं गोदामों में ज्यादा अर्से तक। इसलिये हम स्टेट एजेंसी को सरकार की एजेंसी को इसकी खरीद में डाल रहे हैं...

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आपने अच्छी बात कही है कि गुड़ की कीमत हम गिरने नहीं देंगे और एक्सपोर्ट की बात भी हम सोच रहे हैं। लेकिन आज की हालत को आप देखें। गुड़ दो रुपया किलो इस वक्त किसान का बिक रहा है और यह उसके लिये घाटे का सौदा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वक्त आप क्या करने जा रहे हैं ?

बुलन्दशहर के कुछ लोग मिले थे। वहां सल्फर प्लांटस है। वे इस वक्त चौदह रुपये क्विंटल गन्ना खरीद रहे हैं। शाहजहांपुर में साढ़े दस रुपये क्विंटल में खरीद रहे हैं जबकि मिलें आपकी 20-50 पर खरीद रही हैं। मिलें पूरा गन्ना नहीं ले रही है, इसके लिये आप क्या करने जा रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : गुड़ और खंडसारी बनाने वाले कीमत ज्यादा दें यह इस चीज के ऊपर भी नुनहसिर है कि मिलें क्या कीमत दे रही है। अगर मिलें गन्ने की कीमत अच्छी दें तो गुड़ और खंडसारी वालों को भी देनी पड़ेगी। एग्रिकलचर मिनिस्टरी की सिफारिशें कामर्स मिनिस्टरी के पास पहुंच गई हैं कि गुड़ कुछ एक्सपोर्ट होना चाहिये। उस पर वह फैसला लेगी जल्दी। गुड़ एक्सपोर्ट हो सके, जितना मुनासिब है एक्सपोर्ट कराना वह हो सके यह कामर्स मिनिस्टरी करेगी। मिनिस्टर साहब बैठे हुये हैं पाटिल जी और वह सुन रहे हैं और हम अपनी सिफारिशें उनके पास भेज चुके हैं।

इक्वेलाइजेशन फंड की बात भी डागा जी ने की है और कहा है कि इसका क्या हुआ ? यह भी उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी। वह इस तरह का फंड नहीं था जेसा कि हम सेस के जरिये बनाना चाह रहे हैं। कोर्ट का आर्डर हो, इंटेरिम आर्डर कोर्ट का हो तो सरकार को लेवी शूगर फैक्टरों से लेकर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिये इस्तेमाल करने के लिये ज्यादा पैसा फैक्टरी को देना पड़ता है ? और जब सरकार ने कीमत ज्यादा दे दी फैक्ट्रीज को आदालतों के हुक्म से उसके बाद आखिरी फैसले में कीमत कम हो गई तो जो सरकार का पैसा फैक्ट्रीज के पास चला गया उसको वापस वसूल किया जाता हैं और उसका एक फंड बनाकर रखा जाता है। वह ईक्वलाइजेशन फंड है। उसको इस्तेमाल करते हैं हम जगह जगह, देश के हर हिस्से में एक कीमत जो, रखी गई हैं शूगर की पहले 3.50 थी अब 3.60 पैसे है तो कहीं ट्रांसपोर्ट कोस्ट का है और कहीं ज्यादा है, वह भारत सरकार देती है, उसमें से कुछ देती है। नहीं पैसा है तो स्टेटस को अपने आप बोझ उठाना पड़ता है। उसके लिये सोच रहे हैं कि क्या किया जाय। तो ईक्वलाइजेशन फंड सरकार का पैसा था जो फैक्ट्रीज ने ज्यादा ले लिया और जब उसके बाद कीमत मुकर्रर हुई फाइनली तो वह पैसा उनसे वसूल किया जाता है। तो वह कोई सेस नहीं है, बल्कि सरकार का पैसा

है जो फैक्ट्रीज के पास चला गया। अभी कोर्ट्स में बहुत से केसेज चल रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मैंने पूछा था कि कितना फंड इकट्ठा हुआ है?

राव वीरेन्द्र सिंह : अब तक 16 करोड़ इकट्ठा हुआ। लेकिन उस पर फाइनल तो हुक्म होना है कोर्ट का। उसमें कितना हमें देना पड़ता है, कितना वापस आता है, और उसमें भी बहुत सी सेक्योरिटीज दी हुई हैं जहां कहीं मान गयी अदालतें। हमने यह किया कि भारत सरकार के बौंड के ऊपर, श्योरिटी के ऊपर यह चीनी उठा लेने दी जाये, नकद न देना पड़ा लेकिन जब कोर्ट से फैसला हो जायेगा तो नकद देना पड़ेगा, अगर हमें देना पड़ा तो।

आडिट और पार्लियामेंट की पावर्स की बात मैं कर चुका हूं। बीच में एफ० सी० आई० को कुछ दोस्त ले आये कि उसका काम बड़ा खराब है, डिस्ट्रिब्यूशन ठीक नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं एफ० सी० आई० का पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि जहां स्टेट गवर्नमेंटस अपने आप मिलों से चीनी उठायें और तक्सीम करायें कि वह तो स्टेट गवर्नमेंटस कर रही है। कुछ प्रांतों के अन्दर एफ० सी० आई० मिलों से चीनी लेकर स्टेट तक पहुंचाती है, उससे आगे स्टेट गवर्नमेंट का अपना डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम होता है। तो उसमें एफ० सी० आई० कहां आ गई? वह तो अगर डिस्ट्रिब्यूशन में कोई खराबी है तो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी की खराबी है। एफ० सी० आई० पर हर तरह का इल्जाम लाद देना इंसाफ की बात नहीं है। तो यह चन्द मोटी मोटी बातें थीं।

कुछ दोस्तों ने रीजनल कमेटी बनाने की बात कर दी। एक साहब तो यहां तक चले गए कि चूंकि एक कमेटी है इस वास्ते एक ही प्रांत को सारा पैसा दे देगी। तो इसका मतलब यह हुआ अगर हमें 29 प्रांतों में यह पैसा इस्तेमाल करना हो तो 29 कमेटियां चाहिये। तो यह बात समझ में नहीं आती।

श्री चित्त बसु : जोन के आधार पर, चार जोन हैं इसलिये 4 कमेटियां बना दीजिये।

राव वीरेन्द्र सिंह : इसके लिये जरूरी नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में सब से ज्यादा चीनी पैदा होती है। अगर महाराष्ट्र वाले यह कहें कि जितना सैस हमसे वसूल होता है वह सिर्फ महाराष्ट्र में खर्च हो तो क्या वह देश के हित में होगा? आप कह रहे हैं कि ज्यादा सिक मिल्स यू० पी० और महाराष्ट्र के अन्दर हैं। जहां ज्यादा सिक मिल्स हैं वहां यह फंड इस्तेमाल होगा। सारी इंडस्ट्री देश की एक है। किसी प्रांत से ज्यादा पैसा आयेगा तो जरूरी नहीं है कि वहीं खर्च किया जाये। यह बात मुझे मंजूर नहीं है।

श्री हरीश रावत : और मिलें लगाने की बात मैंने की थी।

राव वीरेन्द्र सिंह : यू० पी० में और मिलें लगाने की बात आपने की। आपको मालूम है कि पहले लाइसेंसज रुके हुये थे। शूगर इंडस्ट्री में जितनी इंस्टाल्ड कैपेसिटी है हमें उम्मीद है कि उस कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल कम से कम इस साल होगा। इंस्टाल्ड कैपेसिटी के मुताबिक शूगर प्रोडक्शन होगी। लेकिन इसके बावजूद हमने वह रोक हटा दी। पिछले साल से हमने नये शुगर लाइसेंस देने शुरू कर दिये, काफी लाइसेंसेज हमने महाराष्ट्र में दिये, यू० पी० में भी 5 नये लाइसेंस दिये हैं। कुछ और दरख्वास्तें भी पैंडिंग हैं जो कि लाइसेंस

[राव वीरेन्द्र सिंह]

कमेटी के सामने हैं। और कितने क्लीयर हो सकते हैं, उनका हमने तरीका बना रखा है कि शुगरकेन कहां कितनी मिलती है। कोई दूसरी फैक्टरी सिक न हो जाये, सब के लिये काफी शुगर केन एवेलेबल हो, उनके लिये इलाका बंटा हुआ, हो जोन डिमार्केटड हो। इन सारी चीजों को देखकर लाइसेंस दिये जाते हैं। ऐसे अंधाधुंध देने से बात बनती नहीं है कि हर आदमी अपने हल्के में पहले लाइसेंस मांग ले और फिर कहे कि शुगर की डैवलपमेंट हो जायेगी। लाइसेंसेज हम शुगर फैक्टरीज के लिये लिबरटी दे रहे हैं, यह पालिसी इस सरकार ने आते ही बना ली थी। उसके मुताबिक कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है और छठी प्लान के अन्दर हम काफी शुगर इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, एक्सपोर्ट हो और कीमतें भी ठीक हों, और सबका मुंह भी मीठा होता रहे।

अगर और कोई प्वाइंटस ऐसे रह गये हों, जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया हूं।....

एक माननीय सदस्य : एक्सपोर्ट का बताइये।

राव वीरेन्द्र सिंह : एक्सपोर्टस के लिये मैंने अर्ज किया है।.

एक माननीय सदस्य : वाटर पौल्यूशन।

राव वीरेन्द्र सिंह : जितनी पोल्यूशन की बात है, एफलुएंट्स की बात है, और चीजें हैं, वह सब चीजें रिसर्ज डैवलपमेंट के अन्दर आ जाती है, कोई बाहर नहीं है। सिंचाई की बात हो, शुगर डवलपमेंट में सब बातें आती हैं। उसके लिये सब चीजों को देखकर सोचकर रूल बनायेंगे। यह खतरा नहीं होना चाहिये कि यह आफिसर्स की कमेटी है, यह आर्बिट्रेरीली काम करेगी। बाई-लाज होंगे, पालिसी होगी, रूल्स फ्रेम किये जाएंगे और वह पार्लियामेंट के सामने रखे जायेंगे। पार्लियामेंट को अख्त्यार होगा कि चाहे तो उन रूल्स में तबदीली कर दे। अब फिर आपको शक किस चीज का है? कोई चीज फिक्टीशियसली नहीं होगी। सारी चीजें आपके सामने होंगी।

मैं माफी चाहता हूं कि सारी बातों का जवाब नहीं दे पाया......

एक माननीय सदस्य : एक्सपोर्ट के बारे में कहिये।

राव वीरेन्द्र सिंह : एक्सपोर्ट के लिये आपने बात की कि नुकसान बहुत होगा। अब जो इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट है, हिन्दुस्तान उसका मेम्बर है और यह कंट्री एक्सपोर्टिंग कंट्री भी रहा है। पिछले सालों में हम एक्सपोर्ट नहीं कर सके, अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर सके, कोटा नहीं भेज सके, इसकी वजह से भी दिक्कत बढ़ रही थी कि शायद वह इजाजत न दें। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, उन्होंने शायद मान लिया है कि पिछला जितना कोटा भारतवर्ष का रह गया था वह एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिल जाय। अगर अब इंटरनेशनल प्राइस नीचे गिर गई हैं तो सरकार को नुकसान भी उठाना होगा, लेकिन सोचने की यह बात है कि क्या हम इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट छोड़ दें, बाहर आ जायें? कल अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो दूसरे देशों में कहां एक्सपोर्ट कर पायेंगे शुगर को? इसलिय इन सारी चीजों को देश के हित में सोचना पड़ता है।

फारेन एक्सचेंज की भी बात है, हमेशा के लिये हम एक्सपोर्ट के फील्ड में रहें, इसकी भी बात है। इसमें ही हित इंडस्ट्री का है, किसानों का है, शुगर केन ग्रोग्रर्स का है। अब आपकी तसल्ली हो गई ?

श्री दया राम शाक्य : जैसे मैंने अपने यहां के विषय में बात की कि खांडसारी और गुड़ के लिये अब सस्ता गन्ना आ रहा है क्योंकि मिलों ने कई जगह पर कह दिया कि हम गन्ना नहीं पेरेंगे। इसलिये सरकार स्पष्ट घोषणा करे कि सारे का सारा गन्ना मिल पेरेंगे, वह तो कम-से-कम किया जाय।

राव वीरेन्द्र सिंह : जो मिल वक्त से पहले बन्द होती हैं, उनको हम कानून में पकड़ लेते हैं, उनको टेकग्रोवर करने के लिये हमारे पास अख्त्यार हैं। वह एक कसूर है, जो नहीं होने देंगे। वक्त के बाद तक चलने वाली मिलों को हम इन्सैंटिव देने की बात कर रहे हैं। यही तरीका है, जिससे हम सारा गन्ना पेरने की सोचते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सारा गन्ना इस तरह पेरा जायेगा ताकि किसान आगे गन्ने की पैदावार बढ़ाते रहें और सब को फायदा हो।

इन शब्दों के साथ में दरख्वास्त करूंगा हाउस से, कि इस बिल को जो मांग की है कि पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दो, मेरा कहना है कि पब्लिक ओपीनियन तो सारे पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज ने दे दी। सलैक्ट कमेटी में भेज दो; वह बात भी नही बनती। जितनी दिलचस्पी यहां ली है, उससे ज्यादा दिलचस्पी कौन सी कमेटी ले पायेगी ? इसको सारे हाउस ने कंसीडर किया है, अब इसको आराम के साथ पास कर दिया जाये।

MR. CHAIRMAN: We shall now take up amendments to the motion for consideration. There are two amendments. I shall now put amendment No. 4 to the vote of the House.

Amendment No. 4 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 5 to the motion for consideration moved by Shri T. R. Shamanna to the vote of the House.

Amendment No. 5 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to provide for the imposition of a cess on sugar for the development of sugar industry and for matters connected therewith be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2—(*Definition*)

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: I to move:

Page 1,—

after line 14, *insert*—

"(cc) 'sick mill' means any factory which is old and of uneconomic capacity and requires rehabilitation and modernisation on a priority basis." (6)

In the Statement of Objects and Reasons, only the factories which were established more than 25 years ago have been mentioned. Will the hon. Minister reconsider it to include other sick mills also ? That is my anxiety.

राव वीरेन्द्र सिंह : मैंने बताया है कि इसमें कोई बार नहीं है। यह फंड सब के लिये है। चाहे कोई फैक्टरी 25 साल पुरानी हो और चाहे उसके बाद की हो, वे सब निगाह में रखी जायेंगी। कोआप-

[राव बीरेन्द्र सिंह]

रेटिव हो या प्राईवेट इंडस्ट्री, यह फंड सब के लिये इस्तेमाल होगा।

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: That is enough.

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 6 moved by Shri Balasaheb Vikhe Patil to the vote of the House.

Amendment No. 6 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2 stand Part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill (Imposition of cess).

Amendment made

Page 2, line 2,—

for "1981" *substitute* "1982". (3)
(Rao Birendra Singh)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 3, as amended, stand, Part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clause 4 to 6 were added to the Bill.

Clause 1—*Short title, extent and commencement.*

Amendment made.

Page 1, line 3,—

for "1981" substitute "1982".

(Rao Birendra Singh)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stands part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

MR. CHAIRMAN: Now the amendment to the Enacting Formula.

Amendment made.

Page 1, line 1,—

for "Thirty-second" *substitute* "Thirty-third" (1)

(Rao Birendra Singh)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the *Enacting Formula*, as amended, *stand Part* of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the—Title *stand* part of the Bill."

The motion was adopted.

The title was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now the Minister.

RAO BIRENDRA SINGH: I beg to move:

"That the Bill, *as amended. be passed.*"

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): सभापति जी, मैं एक दो बातें आप के माध्यम से कहना चाहता हूं। यों तो मंत्री जी ने कहा कि हमारे जैसे कुछ बिगड़ेल दिमाग के लोग ही राष्ट्रीयकरण की मांग करते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह: उसमें आप का नाम नहीं था।

श्री रामावतार शास्त्री: मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। उसको समझिये। हमारे जैसे विचार वाले। मैं समझता हूं कि जहां आपने पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और कु-प्रशासन, जितनी भी बातों की चर्चा की

इन तमाम बातों का समाधान आप अपने हाथ में लेकर ही कर सकते हैं। यानि, बिना राष्ट्रीयकरण के आप पेवन्दबाजी करते जाइये। एक जगह पेबन्द लगाइये तो दूसरी जगह से कपड़ा फट जाएगा। इन सब बातों का एक इलाज है, राम-बाण की तरह, आप अपने कब्जे में ले लें, उसका राष्ट्रीयकरण कर लें और तब ही आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

दूसरी बात सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि...

श्री मूल चन्द डागा : शास्त्री जी, सरकारीकरण हो जाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री : डागा जी, राष्ट्रीयकरण का जो मतलब म समझता हूं, वही मैं बोल रहा हूं। यदि आप सरकारीकरण समझते हैं, तो समझिये। आप तो वकील हैं, जैसा राव साहब ने कहा कि आप कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं।

आप ने कहा है कि उपकर का उपभोक्ता पर केवल थोड़ा-सा ही प्रभाव होगा। तो आप ने यह मान लिया कि प्रभाव पड़ेगा। हम लोग भी यही कह रहे हैं। अभी तो आप पांच रुपया उपकर बढ़ा रहे हैं, बाद में दस रुपया करेंगे। इसके नाम पर कारखाने को ठीक रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीनी का उत्पादन हो, देश को लाभ हो, उससे चीनी की कीमत जरूर बढ़ेगी। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप ने थोड़ा सा अन्दाज लगाया है कि कितनी कीमत बढ़ेगी? क्योंकि आप को याद होगा, पिछले साल जब बजट आया था तो मंत्री जी ने कहा था कि कुछ उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा या नहीं के बाराबर पड़ेगा। लेकिन अब कितनी मंहगाई बढ़ गई है, यह आप जानते हैं। अगर आप बताने की स्थिति में हैं, तो यह बताइये, ताकि चीनी खरीदने वाले को यह समझ में आये और पहले से वह अपनी जेब को ठीक-ठाक रखे कि कितना उनको देना पड़ेगा?

तीसरी और आखरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको कारखानेदारों के लिये बड़ी पीड़ा है, कारखाने जरूर अच्छी तरह से चलें, लेकिन आप को उपभोक्ता के प्रति पीड़ा नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : बहुत है।

श्री रामावतार शास्त्री : आप के दिल में पीड़ा किसानों के प्रति नहीं है। अगर आप के दिल में कोई तकलीफ है, पीड़ा है तो मैं चाहूंगा कि आपके कोई ऐसा बिल लाइये, जिससे कि किसानों को कुछ राहत मिले। उपकर लगाकर किसानों को लाभकारी मूल्य दिला सकें, ऐसा बिल लाइये हम लोग उसमें पूरा समर्थन करेंगे। इस तरह की बात इस बिल में नहीं है, किसान बेचारा सबसे ज्यादा मारा जा रहा है। उसकी खोज खबर लेने वाला लगता है इस सरकार में कोई नहीं है। यदि है, तो आप के जो लोग राष्ट्रीयकरण में विश्वास करते हैं उन को बुद्धि वाला व्यक्ति मानता हूं और जो लोग राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हैं, मैं उनको ठीक उल्टा मानता हूं......

श्री दया राम शाक्य : क्या उल्टा मानते हैं?

श्री रामावतार शास्त्री : आप समझ जाइये, निर्बुद्धि या कुछ भी समझ लीजिये। मैं बिहार की असेम्बली को बुद्धिमान समझता हूं, उत्तर प्रदेश की असेम्बली को बुद्धिमान समझता हूं। उन्होंने सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद वह मांग की थी। उपकर लगाने

[श्री रामावतार शास्त्री]

से किसको फायदा होगा? किसानों के बारे में भी कुछ सोचियेगा या नहीं, या यों ही कहते रहियेगा कि हम किसानों के धुरन्धर समर्थक हैं, उनके लिये बीस सूत्री कार्यक्रम बना दिया है। मैं चाहूंगा कि इन बातों की सफाई कीजिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस उपकर लगाने के विधेयक का विरोध करता हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : शास्त्री जी की पहली आशंका तो इस तरह से दूर करना चाहता हूं कि इस सेस के लगाने से एक किलोग्राम पर 5 पैसे का फर्क पड़ता है और अब जिस दाम पर चीनी मिल रही है उसमें हमने यह शामिल कर लिया है, इस का शुमार कर लिया है और आपको पता भी नहीं लगा है। इस लिए इस का कोई असर नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह तो आगे लगने वाला है।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप को खबर ही नहीं लगी, वह तो हिसाब में पहले ही आ चुका है।

श्री रामावतार शास्त्री : आगे देखना कि आता है या नहीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : जहां तक किसानों की हमदर्दी की बात शास्त्री जी ने कही, इस सरकार से ज्यादा किसानों की हमदर्द शास्त्री जी की पार्टी नहीं हो सकती है। आप तो किसानों की सारी जमीन का भी सरकारीकरण कर लेंगे ...

श्री रामावतार शास्त्री: हमारे कार्यक्रम में आप ने शायद यही पढ़ा है?

राव बीरेन्द्र सिंह : उस सूरत में किसान बेचारा कहां जायगा। इसलिये किसान की भलाई के लिए ही ये सारी चीजें सरकार सोच रही है, इस से किसानों को ही लाभ होगा।

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill, as amended, be passed".

The Lok Sabha divideds

17.36 hrs.

Division No. 1]

AYES

Alluri, Shri Subhash Chandra Bose
Anuragi, Shri Godil Prasad
Arakal, Shri Xavier
Arunachalam, Shri M.
Bairwa, Shri Banwari Lal
Baitha, Shri D. L.
Baleshwar Ram, Shri
Bansi Lal, Shri
Barot, Shri Maganbhai
Barway, Shri J. C.
Bhole, Shri R. R.
Bhuria, Shri Dileep Singh
Birbal, Shri

Birender Singh, Rao
Chaudhary, Shri Manphool Singh
Choudhari, Shrimati Usha Prakash
Chouhan, Shri Fathebhan Singh
Daga, Shri Mool Chand
Das, Shri A.C.
Dennis, Shri N.
Desai, Shri B. V.
Dev, Shri Sontosh Mohan
Dogra, Shri G. L.
Doongar Singh, Shri
Fernandes, Shri Oscar
Gehlot, Shri Ashok
Gireraj Singh, Shri
Hakam Singh, Shri
Jain, Shri Bhiku Ram
Jain, Shri Virdhi Chander
Jamilur Rahman, Shri
Kamla Kumari, Kumari
Karma, Shri Laxman
Kunhambu, Shri K.
*Lawrence, Shri M.M.
Mahabir Prasad, Shri
Mallikarjun, Shri
Misra, Shri Nityananda
Murthy, Shri M. V. Chandrashekhara
Naikr, Shri D.K.
Namgyal, Shri P.
Nehru, Shri Arun Kumar
Nihal Singhwala, Shri G. S.
Nikhra, Shri Rameshwar
Pardhi, Shri Keshaorao
Patel, Shri Mohan Lal
Patel, Shri Shantubhai
Patel, Shri Uttambhai H.
Patel, Shri Balasiaheb Vikhe
Patil, Shri Shivraj V.
Phulwariya, Shri Virda Ram
Ranga, Prof. N. G.
Rao, Shri Jagannath
Rathod, Shri Uttam
Rawat, Shri Harish
Sahi, Shrimati Krishna
Saminuddin, Shri
Sangma, Shri P. A.
Sathe, Shri Vasant
*Shamanna, Shri T. R.
Shankaranand, Shri B.
Sharma, Shri Kali Charan
Sharma, Shri Nand Kishore
Sindal, Shri S. B.
Singaravadivel, Shri S.
Soren, Shri Hari Har
Stephen, Shri C. M.
Sultanpuri, Shri Krishan Dutt
Sunder Singh, Shri
Suryawanshi, Shri Narsing
Swaminathan, Shri R. V.
Tapeshwar Singh, Shri
Tariq Anwar, Shri
Tewary, Prof. K. K.
Thakur, Shri Shivkumar Singh
Tripathi, Shri Kamalapati
Vairale, Shri Madhusudan
Venkataraman, Shri R.
Venkatasubbaiah, Shri P.
Vyas, Shri Girdhari Lal
Yadav, Shri Subhash Chandra
Yazani, Dr. Golam
Zail Shingh, Shri
Zainul Basher, Shri

NOES

Bhim Singh, Shri
Dandavate, Prof. Madhu
Giri, Shri Sudhir
Jagpal Singh, Shri
Jatiya, Shri Satyanarayan
Jha, Shri Bhogendra
Mandal, Shri Mukunda
Masudal Hossain, Shri Syed
Mehta, Prof. Ajit Kumar
Mukherjee, Shri Samar
Negi, Shri T. S.
Nihal Singh, Shri

*Wrongly voted for *'Ayes'*.

Pal, Prof Rup Chand
Pandit, Dr. Vasant Kumar
Rahi, Shri Ram Lal
Rajda, Shri Ratansinh
Rakesh, Shri R. N.
Roy, Shri A. K.
Shakya, Shri Daya Ram
Shastri, Shri Ramavatar
Suraj Bhan, Shri
Unnikrishnan, Shri K. P.
Verma, Shri R. L. P.
Verma, Shri Raghunath Singh
Zainal Abedin, Shri

MR. CHAIRMAN: Subject to correction, the result* of the division is *Ayes* 83, *Noes* 25,

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We will now take up the Sugar Development Fund Bill, which has already been discussed.

I shall now put to the vote of the House amendment No. moved by Shri T. R. Shamanna to the consideration motion.

The Amendment No. 5 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to provide for the financing of activities for development of sugar industry and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.".

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now we take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2—(*Definitions*)

Amendment made

"Page 1, line 16,—

for "1981" *substitute* "1982" (3)

(*Rao Birendra Singh*)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 3—(*Sugar Development Fund*)

RAO BIRENDRA SINGH: I beg to move:

"Page 2, line 4,—

for "1981" *substitute* "1982" (4)

SHRI T. R. SHAMANNA: I beg to move:

"Page 2,—

after line 10, *insert*—

"(4) The Government shall give a matching grant to the Sugar Development Fund." (6)

Page 2,—

after line 10, *insert*—

"(4) All moneys received for the Fund shall be kept in a separate account which shall be operated by the Chairman and the Secretary." (27)

SHRI MOOL CHAND DAGA: I beg to move:

"Page 2, line 7,—

omit ", after due appropriation made by Parliament by law," (14)

These words 'after due appropriation made by Parliament by law' are not at all necessary because we have

---

*The following Members also recorded their Votes:

AYES: Sarvashri Manikrao Hodiya Gavit, Rajiv Gandhi and N. Kudanthai Ramalingam;

NOES: Dr. Saradish Roy, Shri M. M. Lawrence and Shri T. R. Shamanna,

now passed the Sugar Cess Bill. Section 4 of this Bill says:

"The proceeds of the duty of excise levied under section 3 shall be credited to the Consolidated Fund of India."

And Section 2 of the Sugar Development Fund Bill says:

"An amount equivalent to the proceeds of the duty of excise levied and collected under the Sugar Cess Act, 1981, reduced by the cost of collection as determined by the Central Government together with any moneys received by the Central Government for the purposes of this Act, shall, after due appropriation made by Parliament by law, be credited to the Fund."

Under these two sections, the money collected as cess will go to the Consolidated Fund of India. And for getting that money, the Minister will have to come to Parliament for getting the Bill passed. I think, this can be avoided.

RAO BIRENDRA SINGH: Government thinks it necessary. We shall have to come to Parliament through the Finance Bill for appropriation of this money. So, we do not accept this amendment.

MR. CHAIRMAN: The question is: "Page 2, line 4,—

for "1981" *substitute* "1982"

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now I shall put Amendments Nos. 6 and 27 in the name of Shri T. R. Shamanna to vote.

Amendments Nos. 6 and 27 were put and negatived.

SHRI MOOL CHAND DAGA: I seek leave of the House to withdraw my Amendment No. 14.

MR. CHAIRMAN: Has Mr. Daga leave of the House to withdraw his amendment?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

Amendment No. 14 was, by leave, withdrawn

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 3, as amended was added to the Bill.

Clause 4—(Application of Fund)

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: I beg to move:

Page 2, lines 14 and 15,—

for "in the area in which any sugar factory is situated;"

substitute—

"including irrigation facilities, construction of irrigation and drainage channels, roads and culverts in the area in which sugar factory is situated;" (23)

Page 2, line 17,—

add at the end—

"and up-dating of sugar technology including effluent treatment" (24)

Page 2,—

after line 17, *insert*—

"(bb) for nationalising sugar units which have diverted their profits into other industries or face crisis because of mismanagement." (25)

Page 2,—

after line 22, *insert*—

"Provided that no loan shall be granted to those units which face crisis because of diverting their profits into other industries or mismanagement." (26)

SHRI T. R. SHAMANNA: I beg to move:

[Shri T. R. Shamanna]

Page 2—

after line 22, *insert*—

"(3) The Committee shall have powers to check the utilisation of loan or grant given to the factory or unit as the case may be." (28)

MR. CHAIRMAN: I will now put amendment Nos. 23 to 26 to the vote of the House.

Amendments Nos. 23 to 26 were put and negatived

MR. CHAIRMAN: I will now put amendment No. 28 to the vote of the House.

Amendment No. 28 was put and negatived

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clauses 4 and 5 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

Clause 6—(Committee)

SHRI T. R. SHAMANNA: I beg to move:

Page 2,—

after line 31, *insert*—

"Provided that the Committee so constituted shall have representation of all interests relating to sugar production and distribution." (7)

Page 2, line 28—

for "of that Government" *substitute*—

"not exceeding five of that Government and three Members of Parliament, two from Lok Sabha and one from Rajya Satha." (29)

MR. CHAIRMAN: I will now put Amendment Nos. 7 and 29, moved by Shri Shamanna, to the vote of the House.

Amendments Nos. 7 and 29 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 6 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 7—(Annual report of activities financed under the Act)

SHRI MOOL CHAND DAGA: I beg to move:

Page 2,—

after line 35, *insert*—

"7. (2) The accounts of the Sugar Development Fund and of the beneficiaries shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India or his nomines, whose report shall be laid before Parliament." (15)

Clause 8 says:

"The Central Government may require an occupier of a sugar factory to furnish, for the purpose of this Act, such statistical and other information, in such form and within such period as may be prescribed."

The Bill simply seeks to publish it in the Official Gazette. I say that it must be audited by the Comptroller and Auditor General and the report should be laid on the Table of the House because money is going out of the Consolidated Fund.

RAO BIRENDRA SINGH: I have already replied to this point. We do not accept it.

MR. CHAIRMAN: I will now put amendment No. 15 to the vote of the House.

Amendment No. 15 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 8 and 9 were added to the Bill.

Clause 1.—(*Short title, extent and commencement*)

Amendment made:

"Page 1, line 4.—

for "1981" *substitute* "1982' (2)

(*Rao Birendra Singh*)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

MR. CHAIRMAN: There is one Government amendment to the Enacting Formula.

Amendment made:

Page 1, line 1,—

for "Thirty-second" *substitute* "Thirty-third". (1)

(*Rao Birendra Singh*)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Title was added to the Bill.

RAO BIRENDRA SINGH: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

17.45 hrs.

CENTRAL SILK BOARD (AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up the Central Silk Board (Amendment) Bill.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Central Silk Board Act, 1948, be taken into consideration."

This Bill is a very simple one. The Central Silk Board was constituted in the year 1949 under the Act of Parliament of 1948. The Board has 36 Members including the Chairman who is appointed by the Government.

Now, the objective of the amendment, that we are seeking here is that: The existing Act does not provide the procedure for terminating the services of the Chairman. So, the most important amendment that we are going to seek is that the Act should provide for the termination of the services of the Chairman whose term of office has been specified as three years. The existing Act also does not provide for the procedure to deal with in the event of the resignation of the Chairman. Therefore, we aslo want to make a specific provision prescribing the procedure for the resignation of the Chairman.

Another provision which we seek to amend is relating to Section 13 of the Act which is in conformity with the formula as has been recommended by the Committee on Subordinate Legisiation of both Houses of Parliament. So, as far as this amendment is concerned,. there will be no objection from the Members. Since this Bill is a minor one, I think my hon. friends will have no objection in pass-